पुलिस विज्ञान

आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष-40 अंक 145 जुलाई-दिसम्बर, 2021

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पुलिस विज्ञान

अंक-145 (जुलाई-दिसम्बर, 2021)

सलाहकार समिति

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक

नीरज सिन्हा
अपर महानिदेशक

डॉ. करूणा सागर
महानिरीक्षक (प्रकाशन)

शशि कान्त उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (प्रकाशन)

संपादन : सतीश चन्द्र डबराल, वरिष्ठ अनुवादक

संपादन सहयोग
पिसाल विक्रम आनंदराव
हिंदी अनुवादक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 , महिपालपुर, नई दिल्ली – 110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय

पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। इन विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियों में से समिति की सिफारिश के आधार पर 5 पुस्तकों को रूपये तीस-तीस हजार के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इस योजना के अंतर्गत पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिन्दी से इतर अन्य भाषाओं की पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करके प्रकाशित करने के लिए चौदह-चौदह हजार रुपये के दो नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अपनी तरफ से दो विषय देकर (एक विषय सामान्य वर्ग के लिए एवं एक विषय महिला वर्ग के लिए आरक्षित) पुस्तकें लिखवाने के लिए रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं जिसके लिए चालीस-चालीस हजार रुपये के दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। रूपरेखाएं 8 से 10 पेज की होनी चाहिए जिसमें लिखी जाने वाली पुस्तक में दी जाने वाली सामग्री का सार हो। सामान्यतः हर वर्ष रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च होती है। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संपादक (हिन्दी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली से संपर्क करें अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in देखें।

'अपराध विज्ञान' तथा 'पुलिस विज्ञान' में डॉक्टरेट कार्य हेतु फेलोशिप

अपराध विज्ञान, पुलिस एवं कारागार तथा पुलिस विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर डॉक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 10 फेलोशिप के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले दो वर्ष के लिए रूपये पच्चीस हजार तथा तीसरे वर्ष से रूपये अटठाइस हजार प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के अनुसंधान अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

पुलिस एवं कारागार सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रलय, पुलिस एवं कारागार से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए उप निदेशक (अनुसंधान) एवं सहायक निदेशक (अनुसंधान), एन एच 8 महिपालपुर, नई दिल्ली 110037 से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संपादकीय

'पुलिस विज्ञान' छमाही पत्रिका का जुलाई-दिसंबर, 2021 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान, जेल प्रशासन व पुलिसिंग से संबंधित विषयों की प्रामाणिक एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अपराधों को सुलझाने में पुलिस कर्मियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावना से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ-साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी हैं।

पत्रिका के इस अंक में आज के परिदृश्य में भारत में महामारी के रूप में पाँव पसारती मानव तस्करी, धारा 64 सीआरपीसी – सुलभ न्याय प्रक्रिया में एक बाधा और लैंगिक असमता का एक निरूपण, किशोर न्याय के आधार, भारत में आत्महत्या – एक परिदृश्य, सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा – चुनौतियां एवं पुलिस की भूमिका, भारतीय रेल की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका और वाष्पशील विष से संबंधित लेख हैं जो इस अंक को निश्चित रूप से उपयोगी बनाएंगे ।

पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे ।

आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

संपादक

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और कम से कम दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल satishdabral@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए रूपये 3000/- प्रति लेख पारिश्रमिक दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि आपने पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में, अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक
पुलिस विज्ञान
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली – 110 037

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
आज के परिदृश्य में भारत में महामारी के रूप में पाँव पसारती मानव तस्करी	श्री श्याम सिंह राजपुरोहित	1
धारा 64 सीआरपीसी – सुलभ न्याय प्रक्रिया में एक बाधा और लैंगिक असमता का एक निरूपण	श्री शिव भूषण दीक्षित श्री हिमांशु दीक्षित	13
किशोर न्याय के आधार	श्री एम. पी. भारद्वाज	22
भारत में आत्महत्या – एक परिदृश्य	श्री लक्ष्य	29
सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा – चुनौतियां एवं पुलिस की भूमिका	सुश्री चेतना भाटी	35
भारतीय रेल की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका	डॉ. जोरावर सिंह राणावत	43
वाष्पशील विष	डॉ. बी. डी. माली	51

समीक्षा समिति के सदस्य

श्री राजेंद्र कुमार, आईपीएस, श्री राजेश प्रताप सिंह, आईपीएस, डॉ. सत्येंद्र नारायण पांडे, डॉ. शरद, डॉ. अशोक कुमार वर्मा, आईपीएस, श्री नसीरुद्दीन एस. एल., डॉ. अरविंद तिवारी, श्री कमल कांत शर्मा, डॉ. उपनीत लाली, श्री सुनील कुमार गुप्ता

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : स्मैट फॉर्मस, 3588, जी.टी.रोड़, दिल्ली-110007

आज के परिदृश्य में भारत में महामारी के रूप में पाँव पसारती मानव तस्करी

श्री श्याम सिंह राजपुरोहित
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय

परिचय:-

आज मानव तस्करी एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। यह विकट समस्या किसी एक देश या किसी एक प्रान्त तक ही नहीं सिमटी है अपितु विश्व के प्रत्येक देश को अपने में जकड़ती जा रही है। माना इसकी पृष्ठभूमि एवं इतिहास कोई नया नहीं है, लेकिन 21वीं सदी के बदलते दौर में जहाँ दुनिया ने चहुँ और प्रगति की है और ऐसी-ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं कि ऐसा लगता है कि वाकई इंसान ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से दुनिया की कायापलट कर दी है। इंसान ने आज तक हर चुनौती का सामना बहुत ही हिम्मत एवं बहादुरी से किया है। कोरोना महामारी को ही देख लें वर्ष 2019 के अंतिम माह में जिस अनजान एवं अदृश्य वायरस ने समूची दुनिया को एक तरीके से हिलाकर रख दिया था, उस दौर में पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ी और इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन भी बनाई तथा साथ ही साथ इस पर काबू भी पाते जा रहे हैं और जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे हालात पुनः सामान्य होते जायेंगे।

आज समूची दुनिया कोरोना महामारी के अलावा एक और गम्भीर समस्या, मानव तस्करी अर्थात मानव दुर्व्यापार से जूझ रही है इस समस्या के पीछे कोई अदृश्य वायरस नहीं होकर स्वयं इंसान ही इसका कारण है। मानव तस्करी आज मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी के बाद विश्व के तीसरे सबसे बड़े अपराध के रूप में उभर कर सामने आई है। आज अवैध मानव व्यापार एक वैश्विक उद्योग का रूप ले चुका है और जितनी बर्बादी मादक पदार्थ एवं अवैध हथियार नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा मानव दुर्व्यापार करता है।

मानव तस्करी आज के परिप्रेक्ष्य में समूचे विश्व में एक गंभीर एवं घातक महामारी के रूप में पाँव पसार रही है। इस मानव तस्करी जैसी महामारी की चपेट में विश्व के अधिकतर देश आये हुए हैं, इन सब में, गरीब तथा विकासशील देशों की हालत तो और भी बद से बदतर होती जा रही है। मानवों को भरे बाजारों में नीलाम किया जा रहा और बोलियाँ लगायी जा रही है, वस्तुओं की भांति उन्हें बेचा जा रहा है। एक जिले से दूसरे जिलों में तथा एक राज्य से दूसरे राज्यों में और एक देश से दूसरे देशों से महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को जहाजों एवं सीमावर्ती इलाकों से ऐसे ले जाया जाता है मानो निर्जीव वस्तुओं को ले जा रहे हों। महिलाओं और बच्चों की यह यौन दासता अब न केवल राष्ट्रीय मुद्दा है अपितु यह आज के परिदृश्य में, एक प्रकार से वैश्विक चुनौती के रूप में उभर रहा है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी एक तरह से कई मायनों में मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे खराब स्वरुप है। मानव अधिकारों की तिलांजली देते हुए, मानवता का गला घोटने वाली और झकझोरने वाली ऐसी घटनाएँ आये दिन सुनने में आ रही हैं, मानव दुर्व्यापार समाज में अपराध का सबसे

घृणित रूप है। यह एक ऐसी आपराधिक प्रथा है जिसमें मानव का हर तरह शोषण करके लाभ कमाया जाता है। इस शोषण में, इन शोषितों से देह व्यापार करवाना, बेगारी करवाना, जबरन मजदूरी करवाना, सेवक एवं दास बनाकर रखना, शादियों के लिए उन्हें बेचा जाना, इनके शरीर के अंगों का निकालकर बेचना, इत्यादि शामिल हैं। इस कुप्रथा में फंसे पीड़ितों पर पूरी तरह से नियन्त्रण रखा जाता है जिससे वे रोटी, कपड़ा, पैसा तथा अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तस्करों पर पूर्णतया निर्भर हो जाते हैं। आधुनिक दासता का सबसे भयावह रूप मानव दुर्व्यापार है। इस व्यापार के मूल कारण गरीबी, अशिक्षा तथा समाज में व्याप्त कई कुरीतियाँ हैं। इस व्यापार में महिलाओं का ही नहीं बल्कि बच्चों के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। इस व्यापार में शामिल अधिकांश महिलाएं पिछड़े और विकासशील देशों की होती हैं। वैश्विक स्तर पर इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए समग्र प्रयासों का किया जाना अति आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध जगत में सबसे लाभकारी व्यवसाय के रूप में इस धंधे को मानव दुर्व्यापार या मानव तस्करी कहा जाता है। इस व्यापार में देह व्यापार ही सबसे ऊपर है। दुनिया भर में 80 प्रतिशत मानव तस्करी यौन शोषण के लिए ही की जाती है और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए होती हैं और तो और बलात श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव अंगों की तस्करी का व्यापार, भिखमंगी, अमानवीय खेलों (बुल फाइटिंग, ऊंट दौड़), देवदासी जैसे अनेकानेक कार्य हैं जिनके लिए महिलाओं/बच्चों/पुरूषों का अपहरण कर पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों में भेजा जाता है।

वर्तमान परिदृश्य में, विश्व के कई देश जिनमें विकसित देश भी सम्मिलित हैं आज इस गम्भीर समस्या से जूझ रहे हैं, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और भारत भी इस विकराल समस्या से ग्रसित है। आजादी से पहले की अगर बात करें तो मुग़ल काल में गुलाम एवं दास प्रथा एक तरह से चरमोत्कर्ष पर थी। दासों एवं गुलामों का क्रय-विक्रय करना, उनको उपहार में देना, ये व्यवस्थाएं प्रचलन में रही थीं। उस दौर में, उसके बाद अंग्रेजी राज में भी कहीं न कहीं ये दृष्टिगोचर होती रहती थी।

आज के हालातों पर अगर दृष्टि डालें तो भारत इस अपराध का एशिया में बहुत बड़ा केंद्र है एवं बांग्लादेश, थाईलैंड तथा नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से लड़कियों, महिलाओं और बच्चों की तस्करी करने के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसके साथ ही साथ भारत, दक्षिणी पूर्वी एशियाई मानव तस्करी अपराध जगत का एक स्त्रोत एवं पारगमन केंद्र के साथ-साथ एक उपभोक्ता देश भी है। भारत में मानव तस्करी बहुत ही व्यापक एवं विकराल समस्या के रूप में अपने पाँव पसार रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक मिनट में एक बच्चा खो जाता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि देशभर में घटित होने वाले कुल मामलों में से 30 प्रतिशत मामलों में ही रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसलिए वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक एवं भयानक हो सकते हैं।

मानव तस्करी अब विश्व व्यापी समस्या का रूप ले चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व के इस उभरते हुए सबसे बड़े अवैध व्यापार को रोकने के लिए कहने को तो बहुत बड़े-बड़े कानून हैं, किन्तु वास्तविकता कुछ और ही स्थिति बयाँ करती है। सच में मानव दुर्व्यापार दुनिया भर में उभरती हुयी एक ऐसी

त्रासदी है **जिसके उन्मूलन हेतु समाज व सरकार को मिलकर कार्य करना होगा।** और साथ ही साथ **सभी देशों को आज मिलकर इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना होगा तभी इस महामारी पर विजय पायी जा सकेगी।** इस त्रासदी का अगर समय रहते मुकाबला करके, अगर नहीं निपटा गया तो हमें गंभीर एवं विनाशक परिणाम भुगतने होंगे।

क्या है मानव तस्करी ?

मानव दुर्व्यापार एक बहुत ही विस्तृत शब्दावली हैं सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति की उसकी बिना इच्छा के उसकी सामाजिक, आर्थिक कमजोरियों एवं मजबूरियों का गलत फायदा उठाकर किसी भी तरह के अवैध कार्यों में भागीदार बनाने के लिए अथवा अपने बाहुबल से भयभीत एवं आतंकित करके एक जगह से अन्यत्र कहीं दूसरी जगह ले जाना, मानव शरीर के अंगों की तस्करी एवं उन्हें वैश्यावृत्ति, बालश्रम, बंधुआ मजदूर, जबरन श्रम जैसे गंदे कामों में धकेलना ही मानव दुर्व्यापार की परिभाषा में आता है। यद्यपि दास प्रथा का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु मानव दुर्व्यापार शब्दावली में निःसंदेह यह भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, किसी व्यक्ति को शोषण के उद्देश्य से बल प्रयोग द्वारा "आवश्यकतानुरूप डराकर, बहला-फुसला कर या धोखा देकर या हिंसक कृत्यों द्वारा भर्ती करना परिवहन अंतरण एवं खरीद फरोख्त करना या तस्करी करना या डर या भय, बल के द्वारा व्यक्तियों को अपने कब्जे में करना" बंधक बना कर रखना मानव तस्करी की परिभाषा में आता है।

पारदेशीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNTOC) के अंतर्गत मानव तस्करी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि, धमकी, बल प्रयोग अथवा जोर-जबरदस्ती के अन्य तरीकों के प्रयोग, अपहरण, छल-कपट, शक्ति के दुरूपयोग के माध्यम से अथवा धन या लाभ के लेन-देन से शोषण के उद्देश्य से व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर व्यक्तियों की भर्ती, परागमन, हस्तातंरण कर उन्हें अपने अधीन रखना अथवा हासिल करना मानव तस्करी है।

मानव दुर्व्यापार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दुनिया में गुलाम अथवा दास प्रथा के प्रचलन की बात करें तो उसका इतिहास बहुत पुराना है। **अवैध मानव व्यापार की अवधारणा के पीछे एक लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अवैध मानव व्यापार का पहला ज्ञात चरण मध्यकालीन युग माना जाता है।** अवैध मानव व्यापार की समस्या ग्रीक शहर के राज्यों के समय से ही विद्यमान है। पूर्वी प्रशिया, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा लताविया से हजारों महिलाओं और बच्चों को इटली और दक्षिणी फ्रांस के दास बाजारों में बेचा जाता था।

दूसरा चरण मध्यकालीन युग के अंतिम भाग तथा नवजागरण काल के आरंभ के दौरान में आया जब मुख्यतः रूस और यूक्रेन से महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार किया जाता था और उन्हें इटली और मध्यपूर्व में दासों की तरह बेच दिया जाता था। 19वीं शताब्दी में दासता पर प्रतिबंध लगने से पहले खदानों और बागानों में काम करने के लिए दासों को पानी के जहाजों द्वारा अफ्रीका से अमेरीका भेजा जाता था। ट्रांस एटलांटिक दास व्यापार को समाप्त

करने में ब्रिटेन मुख्य संचालक शक्ति था। ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1807 में दासता पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 1833 में दस लाख लोगों में से तीन/चौथाई दासों को मुक्त कराते हुए ब्रिटेन के उपनिवेशों में भी दास प्रथा समाप्त कर दी गई।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद **लीग ऑफ़ नेशन्स** ने अवैध व्यापार की समस्या को गंभीरता से लिया और लीग ऑफ़ नेशन्स के अनुबंध में अवैध व्यापार सबंधी एक प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा लीग ऑफ़ नेशन्स के तत्वाधान में अवैध व्यापार पर दो और अंतर्राष्ट्रीय समझौते अंगीकार किए गए। इनमें पहला था महिलाओ एवं बच्चों के अवैध व्यापार दमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1921। इस सम्मेलन ने वर्ष 1920 के सम्मेलन द्वारा निर्दिष्ट अवैध व्यापार के वर्णन की पुष्टि की । परिणामतः वेश्यावृत्ति और यौन शोषण को अवैध व्यापार के महत्वपूर्ण योजकों के रूप में माना गया। इसके अलावा, 1921 का सम्मेलन पिछले दस्तावेजों की तरह सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं बल्कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए लागू था। दूसरा दस्तावेज था पूर्ण आयु की महिलाओं के अवैध व्यापार के दमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1933, इस सम्मेलन में भी अवैध व्यापार को उसी भाषा में वर्णित किया गया। जैसा कि 1910 और 1921 के अभिसमयों में किया गया था। तथापि, लीग ऑफ़ नेशन्स द्वारा अंगीकृत की गई दो सन्धियां निष्प्रभावी रहीं क्योंकि इनमें वैश्यावृत्ति को घरेलू प्रवृत्ति के मुद्दे के रूप में देखा जाता रहा और इसलिए ये सन्धियां राष्ट्रों को इस प्रथा को समाप्त करने पर मजबूर नहीं कर सकीं।

इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1949 में मानव अवैध व्यापार तथा वेश्यावृत्ति द्वारा शोषण का दमन संबंधी अभिसमय को अंगीकार किया। इस अभिसमय का 49 देशों ने अनुसमर्थन किया था। यह दस्तावेज पिछली सभी संधियों का एक समेकित संस्करण था। इसके अतिरिक्त 1949 अभिसमय में राष्ट्र के अंदर तथा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर होने वाले मानवों के अवैध दुर्व्यापार को सम्मिलित किया गया है।

मानव व्यापार और भारतीय कानून

हालाँकि भारत का गुलामी एवं दासता से रिश्ता बहुत पुराना रहा है इतिहास इसका गवाह है जैसा कि पहले भी उल्लेखित किया जा चुका है कि मुग़ल काल में, भारत में गुलाम एवं दास प्रथा एक तरह से चरमोत्कर्ष पर थी। दासों एवं गुलामों का क्रय-विक्रय करना, उनको उपहार में देना ये व्यवस्थाएं प्रचलन में रहीं तो इसी कारण आजादी के बाद मानव तस्करी जैसे घृणित अपराध को नियंत्रित करने एवं रोकने के लिए तथा इस पर शिकंजा कसने के लिए भारत में लीगल फ्रेमवर्क जिनमें मुख्यतः भारत के लिए बनने वाले संविधान में ही इससे संबंधित उपबन्ध कर दिए गये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मानव व्यापार और बलात श्रम को दंडनीय घोषित किया गया है।

अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संसद को इस अनुच्छेद द्वारा वर्जित कार्यों को करने के लिए कानून बनाकर दंड देने की शक्ति है। इसी क्रम में एवं अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने कुछ अधिनियम पारित किये जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मानव तस्करी से संबंधित हैं। इन अधिनियमों में मुख्यतः

1. स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1986 (संशोधन)
2. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956

3. बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम, (उन्मूलन) 1976
4. बाल श्रम अधिनियम, 1986 (निषेध एवं विनियम)
5. किशोर न्याय अधिनियम, 2020
6. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
8. आपराधिक कानून अधिनियम, 2013 (संशोधन)

इन अधिनियमों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएँ भी मानव तस्करी के निवारण से सम्बंधित हैं। जिनमें मुख्यतः धारा-366-ए, धारा-366-बी, धारा 370, धारा-370-ए, धारा-371, धारा-372, धारा-373, धारा-374 हैं। इन धाराओं में भी मानव तस्करी अपराध हैं।

इसी क्रम में, राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक विधायी प्रयासों के द्वारा भी कानूनों का निर्माण किया गया है जो कहीं न कहीं मानव दुर्व्यापार को रोकने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। राज्य सरकारों द्वारा भी इस दिशा में पहल करते हुए कानूनों का निर्माण किया गया है जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं-

1. गोवा बाल कानून अधिनियम,2003
2. आंध्र प्रदेश देवदासी अधिनियम, 1988 (समर्पण का निषेध)
3. कर्नाटक देवदासी अधिनियम, 1982
4. मुंबई देवदासी संरक्षण अधिनियम,1934
5. महाराष्ट्र देवदासी अधिनियम, 2001 (उन्मूलन तथा पुनर्वास)

आज के बदलते हालात एवं वर्तमान परिस्थितियों में ये कानूनी उपबंध नाकाम साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के इन तमाम विधायी प्रयासों के बावजूद भी देश में मानव तस्करी नामक गंभीर एवं संगठित अपराध का प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं हो पाया। इन मौजूदा कानूनों के अलावा मानव तस्करी को रोकने के नाम पर फिलहाल भारत में अलग मानव तस्करी निवारण से सम्बंधित कोई सख्त कानून नहीं है, जो मौजूदा कानून बने हुए हैं वो कोई ख़ास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं जो इस महामारी का प्रभावी तौर से सामना कर सकें।

मानव तस्करी के विरुद्ध उठाये गये कदम एवं किये गये सरकारी प्रयास

- भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानून (IPC) में संशोधन करते हए वर्ष 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 लागू किया गया इसके द्वारा IPC की धारा 370 एवं 370A मानव तस्करी को रोकते हुए मानव तस्करी, बालकों की तस्करी के अलावा किसी भी प्रकार के यौन शोषण दासता और मानव अंगों को जबरदस्ती निकाले जाने के मामले में कठोर दंड का प्रावधान करती हैं।
- **प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में लोगों की तस्करी के विरुद्ध कानून प्रवर्तन अनुक्रिया के सुदृढीकरण से सम्बंधित परियोजना :** गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के सहयोग से चार भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा तथा आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी के रोकथाम से संबंधित विधि प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक

द्विवार्षिक परियोजना को प्रारंभ किया है।

- **समन्वय बैठकों का आयोजन :** गृह मंत्रालय द्वारा प्रभावी अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTUs) के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जाता है।

- **तस्करी विरोधी सेल :** गृह मंत्रालय द्वारा मानव दुर्व्यापार से सम्बंधित मुद्दों से निपटने हेतु एक नोडल सेल का गठन किया गया है।

- **मानव तस्करी विरोधी वेब पोर्टल की स्थापना:** गृह मंत्रालय द्वारा मानव तस्करी विरोधी वेब पोर्टल stophumantrafficking-mha.nic.in की स्थापना की गयी है। इस वेब पोर्टल पर मानव दुर्व्यापार को रोकने से सम्बन्धित समस्त प्रयासों एवं मानव तस्करी के आंकड़ों को प्रामाणिकता के साथ जानकारी साझा की जाती हैं।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाएं:

- भारत ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए बांग्लादेश तथा UAE के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

- भारत "सार्क कन्वेंशन ऑफ़ प्रिवेंसन एंड काम्बेटिंग ट्रेफिकिंग इन वीमन एंड चिल्ड्रेन इन प्रोस्टीट्यूशन" का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने वर्ष 2011 में UN कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल आर्गेनाइज्ड क्राइम (UNCTOC)" की अभिपुष्टि की है। इसके 9 प्रोटोकोल में से एक प्रोटोकोल में "व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की दंड" संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में पुलिस की मानव तस्करी की रोकथाम एवं निवारण: में भूमिका

भारत को आजादी मिलने के बाद भारतीय संविधान बनाया गया। इस संविधान में पुलिस को संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची - 2, राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या-2 में स्थान दिया गया है और ऐसी परिकल्पना की गयी कि पुलिस प्रशासन तथा सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों द्वारा संचालित होनी चाहिए अतः पुलिस पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय है। इन उपबंधो के अनुरूप राज्यों में शांति एवं सुरक्षा का दायित्व पुलिस का है इसी धारणा के साथ राज्यों में पुलिस बलों का संचालन राज्य सरकारों के हाथों में सौंपा गया हैं ताकि राज्यों में कानून व्यवस्था का बेहतर रूप से पालन कराया जा सके। आज के समय में पुलिस, कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कानूनों की समाज में पालना कराने के साथ-साथ समाज में दोहरी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं एक और तो पुलिस समाज में कानून व्यवथा बनाये रखने और कानून व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी निभा रही है तो दूसरी ओर पुलिस का काम यह भी है कि समाज में होने वाले अपराधो का अनुसंधान कर अपराधियों को सजा दिलाने में भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाये। इन दोनों भूमिकाओं को आज पुलिस मुस्तैदी के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से निभा रही है।

पुलिस को मुख्यतः कानून का संरक्षक समझा जाता है। यही वजह है कि किसी भी अपराध से पीड़ित होने पर व्यक्ति तत्काल न्याय की उम्मीद और आशा के साथ पुलिस के पास पहुँचता है और पुलिस भी उस

पीड़ित व्यक्ति को बिना समय गँवाए उसे न्याय प्रदान करने की ओर अग्रसर हो जाती है। मानव तस्करी के निवारण के संदर्भ में, पुलिस की भूमिका के बारे में अगर बात करें तो यह दृष्टिगत होता है कि आज के समय में पुलिस ही एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो मानव तस्करी की रोकथाम एवं निवारण की दिशा में जी-जान से जुटी हुई है अब चाहे रेस्क्यू ओपरेशन से लेकर पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था एवं इसके पश्चात तस्करी के मामलो की FIR दर्ज करना एवं उसकी तफ्तीश करना तत्पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करना और विचारण के दौरान गवाही देने के लिए भी न्यायालयों द्वारा नियत समय पर पहुँचना और अंत में तस्करों को सजा दिलाने तक पुलिस की ही भूमिका मुख्य रूप से दृष्टिगत होती है। भारत के सभी राज्यों में पुलिस निरीक्षक एवं कहीं-कहीं पुलिस उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ अर्थात एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट (AHTU) का गठन किया गया है। राजस्थान में राज्य सरकार ने तो आईपीएस रैंक के पुलिस अधिकारियों को मानव तस्करी के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रखा है। ये एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स जिले भर में मानव तस्करी की गतिविधियों में लिप्त तस्करों एवं अपराधियों को पकडती हैं। रेस्क्यू ओपरेशन के द्वारा पीड़ितों को उनके चंगुल से मुक्त कराती हैं एवं तस्करों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उन्हें सजा दिलाने में भूमिका निभाती हैं। देशभर में सभी राज्यों की पुलिस अकादमी, पुलिस अधिकारियों को मानव दुर्व्यापार से सम्बंधित मामलों में बेहतर अनुसंधान एवं ऐसे मामलो से निपटने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती रहती हैं।

इस प्रकार कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में एवं मानव तस्करी की रोकथाम एवं निवारण में पुलिस की भूमिका **को हम मोटे तौर पर मानव तस्करी के मामले में तफ्तीश में, न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सुदृढ़ पैरवी में एवं मानव तस्करी के निवारण एवं रोकथाम के अंतर्गत विशेष भूमिका के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही उदाहरण के तौर पर अगर** राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2019 के आंकड़ों पर तालिका -1 पर दृष्टि डालें तो यह दृष्टिगोचर होता है कि पूरे देशभर में पुलिस ने किस सजगता एवं मुश्तैदी के साथ मानव तस्करी के मामलों का निस्तारण किया है।

तालिका -1

Police Disposal of Cases of Human Trafficking - 2019

Sr. No.	State/UT	Total Number of cases reported	Person arrested	Cases charge-sheeted	Person charge - sheeted	Final report	Cases hearing completed	Cases convicted by court	Person convicted by court
1	Andhra Pradesh	245	825	159	512	1	238	52	136
2	Arunachal Pradesh	0	3	0	0	1	0	0	0
3	Assam	201	237	84	97	55	19	0	1
4	Bihar	106	195	27	154	0	0	0	0
5	Chhattisgarh	50	91	29	74	11	9	3	5

6	Goa	38	70	36	76	2	11	1	1
7	Gujarat	11	40	11	40	0	0	0	0
8	Haryana	15	21	8	21	4	25	0	0
9	Himachal Pradesh	11	29	9	26	1	5	3	3
10	Jammu Kashmir	0	0	0	0	1	1	0	0
11	Jharkhand	177	198	121	141	61	121	32	39
12	Karnataka	32	115	23	85	1	0	0	0
13	Kerala	180	246	106	147	12	6	2	2
14	Madhya Pradesh	73	390	72	382	0	33	8	34
15	Maharashtra	282	658	161	407	3	7	1	1
16	Manipur	9	13	2	2	1	0	0	0
17	Meghalaya	22	41	2	18	3	0	0	0
18	Mizoram	7	13	5	9	1	0	0	0
19	Nagaland	3	10	2	10	0	0	0	0
20	Odisha	147	239	136	0	0	0	0	0
21	Punjab	19	57	12	38	1	5	0	0
22	Rajasthan	141	220	126	188	2	0	0	0
23	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tamil Nadu	16	43	11	22	1	4	2	4
25	Telangana	137	575	137	474	5	175	51	70
26	Tripura	1	1	0	0	0	0	0	0
27	Uttar Pradesh	48	204	38	185	8	2	2	5
28	Uttarakhand	20	75	16	69	4	7	1	1
29	West Bengal	172	330	231	341	128	110	12	18
	TOTAL STATE(S)	**2163**	**4939**	**1564**	**3518**	**307**	**778**	**170**	**320**
UNION TERRITORIES									
30	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Chandigarh	2	5	1	5	0	0	0	0
32	D&N Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Daman & Diu	0	0	1	3	0	1	0	0
34	Delhi UT	93	176	40	112	5	3	2	4
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Puducherry	2	8	0	0	0	0	0	0
	TOTAL UT(S)	**97**	**189**	**42**	**120**	**5**	**4**	**2**	**4**
	TOTAL (ALL INDIA)	**2260**	**5128**	**1606**	**3638**	**312**	**782**	**172**	**324**

Source – Annual Report NCRB, Crime in India, 2019

आंकड़ों का विश्लेषण

उपर्युक्त तालिका संख्या–1 के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता हैं कि वर्ष 2019 में पूरे देश में मानव तस्करी के कुल 2260 मामले दर्ज किये गये, इन 2260 मामलों में मानव तस्करी में लिप्त 5128 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया जिनमे से 1606 मामलों में 3638 व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थात 71.06%

मामलों में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की एवं 312 मामलों में अर्थात 13.80 प्रतिशत मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं न्यायालयों में कुल 782 मामलो में विचारण पूरा हुआ एवं इनमें से 172 मामलों में 324 व्यक्तियों को अर्थात 07.61 % अपराधियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। इन आंकड़ों के माध्यम से काफी हद तक पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण दृष्टिगत होती है।

भारत में मानव दुर्व्यापार के मामलों की स्थिति

भारत में राष्टीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने मानव दुर्व्यापार या मानव तस्करी के सम्बन्ध में जो आंकड़े एकत्रित किये हैं वो निम्नलिखित शीर्षकों के तहत वर्णित हैं

- अप्राप्तवय व्यस्क लड़की का उपापन - 366-A भा.दं.सं.
- विदेश से लड़की आयात करना - 366-B भा.दं.सं.
- वैश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना - 372 भा.दं.सं.
- वैश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को खरीदना - 373 भा.दं.सं.
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- व्यक्ति का दुर्व्यापार - 370 भा.दं.सं.
- ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया हैं, शोषण - 370-A भा.दं.सं.

इन शीर्षकों के अंतर्गत वर्ष 2017 से 2019 तक जो अपराध भारत में हुए उनका समावेश तालिका संख्या-2 के माध्यम से किया गया है एवं तालिका के पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है:-

तालिका-2

वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान अवैध मानव व्यापार के प्रति अपराध की घटनाएँ

IPC Crimes (Crime Head-wise) - 2017-2019

क्रम संख्या	अपराध	भारतीय दंड संहिता की धारा	वर्ष			वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में % अंतर
			2017	2018	2019	
1	अप्राप्तवय व्यस्क लड़की का उपापन	366-A	3382	3039	3117	2.56
2	विदेश से लड़की आयात करना	366-B	5	4	3	-25
3	वैश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना	372	81	42	24	-42.85
4	वैश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को खरीदना	373	4	8	8	0
5	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956		2127	1882	1645	-12.59

6	व्यक्ति का दुर्व्यापार	370	1127	1313	1334	1.59
7	ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया हैं, शोषण	370-A	117	190	183	-3.68
	कुल मामले		6843	6478	6314	-2.53

Source – Annual Report NCRB, Crime in India, 2019

आंकड़ों का विश्लेषण

उपर्युक्त तालिका संख्या - 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता हैं कि वर्ष 2017 में मानव तस्करी से सम्बंधित कुल 6843 अपराधों के मामले दर्ज हुए तो इसकी तुलना में वर्ष 2018 में मानव तस्करी से सम्बंधित अपराधों के कुल 6478 मामले दर्ज हुए इसके पश्चात वर्ष 2019 में मानव तस्करी से सम्बंधित अपराधों के कुल 6314 मामले दर्ज किये गये। इस प्रकार इन आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्पष्ट होता हैं कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में दर्ज अपराधों की कुल संख्या में 5.33% की गिरावट दर्ज हुई। इसी प्रकार वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में दर्ज अपराधों की संख्या में 2.53% की गिरावट हुई एवं व्यक्तिगत अपराध श्रेणियों पर दृष्टि डालें तो यह दृष्टिगोचर होता हैं कि वर्ष 2018 एवं 2019 के आंकड़ों में केवल अप्राप्तवय व्यस्क लड़की का उपापन - 366-A भा.दं.सं. इस श्रेणी में 2.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी बाकी सभी श्रेणियों में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की अपेक्षा कम अपराध हुए। वर्ष 2018 से वर्ष 2019 में वैश्यावृति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना 372 भा.दं.सं. में भारी मात्रा में लगभग 42.85% गिरावट दर्ज की गयी उसके बाद अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अपराधों में 12.59% गिरावट दर्ज की गयी।

भारत में मानव दुर्व्यापार से सर्वाधिक प्रभावित राज्य/संघ शासित प्रदेश

भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा देशभर में अपराध के नवीनतम आंकडे प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं। ये आंकड़े NCRB द्वारा प्रकाशित 'भारत में अपराध' रिपोर्ट के माध्यम से जारी किये जाते हैं। हाल में, वर्ष 2019 के आंकड़े 'भारत में अपराध' रिपोर्ट के जरिये जारी किये गये हैं।

यदि हम NCRB की हालिया वर्ष 2019 की रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि वर्ष 2017 में कुल 2854 मानव तस्करी से सबंधित मामले पूरे देश में दर्ज किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2018 में वर्ष 2017 से 576 कम मामले अर्थात 2278 मानव तस्करी के कुल मामले दर्ज हुए, इसी क्रम में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 से 18 मामले कम अर्थात कुल 2260 मामले राज्य/संघ शासित प्रदेशों में दर्ज किये गए। सर्वाधिक प्रभावित राज्य/संघ शासित प्रदेशों को अग्र तालिका संख्या-3 में दर्शाते हुए भारत में मानव तस्करी की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

तालिका-3

Top Ten States In Human Trafficking Cases (IPC) - 2019

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मानव दुर्व्यापार से सम्बंधित दर्ज मामलों की संख्या	पूरे देश में मानव दुर्व्यापार के अपराध में राज्य/संघ शासित प्रदेश का प्रतिशत	मानव दुर्व्यापार से सम्बंधित दर्ज मामलो के आधार पर भारत में स्थान
1	महाराष्ट्र	282	12.5 %	1
2	आन्ध्र प्रदेश	245	10.0 %	2
3	असम	201	8.9 %	3
4	केरल	180	8.0 %	4
5	झारखण्ड	177	7.8 %	5
6	पश्चिम बंगाल	172	7.6 %	6
7	उड़ीसा	147	6.5 %	7
8	राजस्थान	141	6.2 %	8
9	तेलंगाना	137	6.1 %	9
10	बिहार	106	4.7 %	10

Source – Annual Report NCRB, Crime in India, 2019

आंकड़ों का विश्लेषण

उपर्युक्त तालिका संख्या -3 एवं NCRB की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में देशभर में मानव तस्करी के कुल 2260 मामले दर्ज हुए जिनमे अगर टॉप 10 राज्यों की बात करें तो देशभर में सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में (282 मामले) साल भर में दर्ज हुए दूसरे क्रम पर 245 मामले आन्ध्र प्रदेश में दर्ज हुए फिर असम, केरल, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना एव अंत में बिहार में कुल 106 मामले दर्ज किये गये।

निष्कर्ष सुझाव एवं मूल्यांकन

आज के परिप्रेक्ष्य में, यह कहना कदापि अनुचित नहीं होगा की मानव दुर्व्यापार जैसी महामारी धीरे-धीरे समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है। कहने को तो बहुत से कानून हैं, इस महामारी से निपटने के लिए लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाये तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। अतः अवैध मानव व्यापार आज के परिदृश्य में एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरते हुए एक गम्भीर चिंता का विषय बन गया है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिशा में

यूएन कन्वेशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल आर्गेनाइजड क्राइम नामक एक अभिसमय निर्देशित किया गया है लेकिन आज तक हालत यह है कि विश्व के अधिकतर देशों ने इस अभिसमय को स्वीकार नहीं किया है और न ही मानव दुर्व्यापार से सम्बंधित कोई ठोस कानून बनाया। भारत की ही बात करें तो यह देखने को मिलेगा की आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी वही घिसा-पिटा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 जिसका सम्बन्ध केवल वैश्यावृत्ति तक ही है। यह अधिनियम केवल मात्र वैश्यालय चलाने वाले दलालों और ग्राहकों तथा इससे कमाने वाले बिचौलियों पर कार्यवाही तक ही सिमटा हुआ है। भारत के बालश्रम से सम्बंधित कानून भी इस तरह के अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। भारत में तो हालत यह है कि मौजूदा कानूनों में कहीं भी मानव तस्करी को सही ढंग से परिभाषित तक नहीं किया गया है। कानून की यही कमियाँ जिनसे इस अपराध में संलिप्त अपराधी कहीं न कहीं अपना बचाव कर लेते हैं और बच निकलते हैं। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कठोर अधिनियम बनाने के साथ-साथ प्रत्येक राज्य सरकार इस दिशा में निगरानी तंत्र विकसित करके, प्रभावी तरीके से कदम उठायें। राज्यों के पास मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्यव स्थापित करके सीमावर्ती इलाको में सुदृढ़ पेट्रोलिंग के साथ-साथ नाकाबंदी के माध्यम से गतिविधियों को नियंत्रित करें। मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा में पर्याप्त एवं सुचारू प्रबंध करें, ऐसा देखा जाता है कि पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्थाओं के अभाव में महिलायें, बच्चे एवं किशोर पुनः ऐसे अपराधियों के हाथों में पड़ जाते हैं।

मानव तस्करी एवं मानव दुर्व्यापार आज के समय में आधुनिक दास प्रथा का ही स्वरुप है। इस गंभीर समस्या के निराकरण हेतु समग्र एवं बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, साथ ही साथ मानव तस्करी की रोकथाम हेतु सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक, समाज तथा अंतर्राष्टीय निकायों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए इसके विरुद्ध एकजुट होकर समग्र प्रयास करने होंगे एवं इस विकराल त्रासदी के उन्मूलन हेतु समाज व सरकार को मिलकर कार्य करना होगा।

****

धारा 64 सी०आर०पी०सी०:- सुलभ न्याय प्रक्रिया में एक बाधा और लैंगिक असमता का एक निरूपण

श्री शिव भूषण दीक्षित, सब इंस्पेक्टर, उ.प्र. पुलिस
श्री हिमांशु दीक्षित, शोधकर्ता, रा.वि.सं., भोपाल

'दंड प्रक्रिया संहिता' (सी०आर०पी०सी०) अपराधों की सजा के लिए मशीनरी प्रदान करती है। यह संहिता, भारतीय दंड संहिता के विपरीत, न्यायिक प्रक्रिया के समस्त नियमों तथा उन नियमों को लागू करने वाली संस्थाओं की शक्तियों के विषय में व अपराधियों को कैसे सजा दिलवाना इत्यादि पर बृहद जानकारी देती है।

सी०आर०पी०सी० के अनुसार किसी भी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतया दो माध्यमों का प्रबंध किया गया है। पहला, या तो न्यायालय उस अभियुक्त के खिलाफ सम्मन जारी करके उसकी उपस्थिति दर्ज करवाए तथा दूसरा, उस अभियुक्त को पहले से ही गिरफ़्त में रखकर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाए। बड़े पैमाने पर कहा जाए तो, यह निर्धारित करना कि पहले माध्यम का प्रयोग किया जाए या दूसरे का यह उस न्यायालय के न्यायाधीश पर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ, सी०आर०पी०सी० यह भी बताती है कि आपराधिक मामलों को दो श्रेणियों में भी विभाजित किया जा सकता है। पहला "सम्मन मामले" और दूसरा, "वारंट मामले"। वारंट मामलों, के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी निर्धारित सजा या तो मृत्यु दंड हो या तो दो वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास हो[1], जबकि दूसरी तरफ, सम्मन मामलों के अंतर्गत ऐसे मामलें आते हैं जिनकी अपराध की जघन्यता वारंट मामलों के मुताबिक़ काफी कम हो[2] तथा जिनमें कारावास की सजा दो साल से अधिक न हो। इस प्रावधान को और सशक्त बनाने के लिए लिए, सी०आर०पी०सी० की धारा 204 और धारा 87 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में यह विवेकाधिकार भी दिया गया है कि किन-किन परिस्थितियों में कोर्ट किसी को "वारंट" और "सम्मन" जारी कर सकता है?

एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी और गवाह की अनुपस्थिति में कोई भी अवधारणा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी आपराधिक मुकदमे में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में आरोपी और गवाह ही होते हैं, और इनकी उपस्थिति न्यायालय में दर्ज करवाने के लिए ही सम्मन का प्रयोग किया जाता है। सम्मन का विधिक अर्थ, अभियुक्त को कानूनी पुकार के जरिए कोर्ट में हाज़िर कराना होता है।[3] किसी व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी करने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं: - अदालत के समक्ष अपनी जांच के सम्बन्ध में आरोप की पैरवी करने हेतु, मुकदमे में अपना पक्ष रखने के दौरान, जजमेंट का सामना करने के लिए उपलब्ध होना इत्यादि।

चूंकि, सम्मन जारी करना एक मनुष्य (प्रायः

1 खण्ड (x), धारा 2, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.
2 खण्ड (w) of धारा 2, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.
3 धारा 61, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.

अभियुक्त) के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है, इसलिए सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिये ही सम्मन को जारी और तामील करवाया जा सकता है ।[4] यहाँ तक कि न्यायालय ने बालकृष्ण मेनन बनाम गोविन्द कृष्नन[5] मामले में यहाँ तक कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य ही करनी है, तो उस सम्मन की तामील, जहाँ तक संभव हो सके, व्यक्तिगत रूप से ही कराई जानी चाहिए ।

सी०आर०पी०सी० की धारा 62 से 67 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में सम्मन कैसे दिया जा सकता है, जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है । सी०आर०पी०सी० की धारा 64 पर एक बृहद विश्लेषण करने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि धारा 64 की परिभाषा असल में क्या कहती है, जो कि इस प्रकार है:-

"धारा 64 सी०आर०पी०सी० :- *'जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील'-*

जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहाँ समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी "वयस्क पुरुष सदस्य" के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।"

'दंड प्रक्रिया संहिता' के इस प्रावधान के कारण ही देश में किसी भी सम्मन को ग्रहण करने के लिए सिर्फ पुरुषों को ही सक्षम समझा जाता है और यदि कोई न्यायालय का या पुलिस का अधिकारी किसी व्यक्ति के नाम से जारी हुए सम्मन को उसके घर की किसी महिला सदस्य को सुपुर्द कर देता है, तो क़ानून की नज़रों में उस सुपुर्दगी की कोई अहमियत नहीं होगी और ऐसा माना जाएगा कि सम्मन उस व्यक्ति तक कभी पहुँचा ही नहीं, फिर चाहे भले ही वो महिला एक वयस्क और सक्षम महिला ही क्यों न हो । जबकि देखा जाए तो इस तरह के सम्मन प्राप्त करके महिला को न तो अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जाता है और न ही वह मुकदमे की कोई पक्षकार बनती है ।

प्रथम दृष्ट्या ऐसा परिलक्षित होता है कि यह प्रावधान महिलाओं के लिए एक विभेदकारी क़ानून है, क्योंकि उन्हें किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ जारी सम्मन को लेने की अनुमति इसमें नहीं दी गई है। अतः यह कानूनी प्रावधान निःसंदेह, भारत के संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का प्रत्यक्षतया उल्लंघन करता है।

II. धारा 64 द्वारा भारतीय संविधान के मूलभूत प्रावधानों पर अतिक्रमण

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष" समानता" का अधिदेश देता है। समानता का यह सिद्धांत एक गतिशील और विकसित अवधारणा है जिसके कई पहलू हैं । यह न केवल अनुच्छेद 14

4 धारा 61, 64 , 65, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.

5 परमबोत ठयूंनि बालकृष्ण मेनन बनाम गोविन्द कृष्नन AIR 1959 Madras 165.

में, बल्कि पूरे संविधान में जगह-जगह भी सन्निहित है। संविधान के भाग 3 के साथ-साथ, भाग 4 के अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41 और 46 जैसे सभी प्रावधानों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जब भी किसी क़ानून की स्थापना की जाए, तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं का विधिवत ध्यान रखा जाए। संविधान तो ऐसा भी मानता है कि किसी भी क़ानून के जरिए यदि भेदभाव करना भी है, तो उस असमानता को अवधारित सीमारेखा के अंतर्गत ही किया जा सकता है जिसे Reasonable Classification Test के नाम से जाना जाता है।[6]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेकानेक प्रतिष्ठित फैसलों में यह स्थापित किया जा चुका है कि दो व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और चूँकि, स्त्री-पुरुष शारीरिक-संरचना के अलावा हर लिहाज से लगभग बराबर ही होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी किसी भी तरह से असमान नहीं माना जा सकता।[7] माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कहा है कि जब भी किसी क़ानून के जरिए कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे तत्काल ही हटाया जाना चाहिए।[8] इसलिए, यदि कोई इस धारा 64 में कभी बदलाव की मांग करना भी चाहता है, तो ऐसा करना किसी भी रूप से अनुचित नहीं होगा।

अनुच्छेद 15 के विपरीत होना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (1) विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। चूँकि, यह क़ानून स्त्री लिंग के खिलाफ एक प्रतिकूल पूर्वाग्रह का तत्व बनाता है इसलिए यह धारा 64, अनुच्छेद 15 (1) को भी उल्लंघित कर देती है।

संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार, कोई भी सरकार महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है, ताकि सभी प्रकार की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाया जा सके। अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि सी०आर०पी०सी० की धारा 64 के अंतर्गत महिलाओं को किसी भी अर्थ में लाभ पहुंचाने की कल्पना नहीं की गई है, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक क्षति का कारण बना हुआ है। अतः इस प्रकार के भेद-भाव युक्त प्रावधान को, जो कि एक पैतृक और पितृसत्तात्मक धारणाओं पर आधारित है, को कभी भी एक लाभकारी कानून की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस अनुच्छेद 15 (3) को बनाते समय संसद की यह विचारधारा रही थी कि किस प्रकार से महिलाओं को उत्पीड़न और असमानताओं से बचाया जाए। लेकिन यदि इस धारा 64 की बात की जाए, तो सम्मन प्राप्त करना न तो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और न ही दुर्व्यवहार में। इसलिए अनुच्छेद 15 (3) के अंतर्गत महिलाओं की रक्षा हेतु उनको एक सम्मन स्वीकार न करने देना किसी तर्करहित जवाब से कम नहीं है।

6 शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2017) 9 SCC 1.

7 चिरंजीत लाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया 1951 AIR 41; रमना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया AIR 1979 S.C. 1628.

8 स्टेट ऑफ़ मैसूर बनाम डी० अ० चेट्टी 1969 AIR 477.

अनुच्छेद 19 में निहित "जानने के अधिकार" का हनन

इतना ही नहीं, धारा 64 "जानने के अधिकार" जैसे एक महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार का भी हनन करती है जो कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूँकि महिलाओं को सम्मन के बारे में जानने और सावधान रहने की अनुमति ही नहीं दी जा रही है, तो इस बात कि भी संभावना है कि अगर कोई पुरुष कोई अपराध करता है, तो सी०आर०पी०सी० की इस धारा 64 के अनुसार, उनके घर की महिलाओं को उनके पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों के अंधेरे में रखने का एक मौका देती है।

सुप्रीम कोर्ट के एस० पी० गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया[9] मामले में, न्यायमूर्ति भगवती ने कहा था कि नागरिकों को सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार ही, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लि० बनाम प्रोप्रिएटर्स ऑफ़ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे लि०,[10] मामले में न्यायमूर्ति मुख़र्जी ने यह भी लिखा था कि किसी भी व्यक्ति के "जानने का अधिकार" अनुच्छेद 21 में निहित "जीवन के अधिकार" का एक अहम् हिस्सा है।

अनुच्छेद 21 में निहित "त्वरित सुनवाई" के अधिकार का हनन

महिलाओं को सम्मन के मामले में एक सक्षम प्राप्तकर्ता के रूप में स्वीकार न करना, उन्हें न्यायायिक प्रणाली में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करने के एक समान अवसर से इनकार करना होता हैं। यह क़ानून महिलाओं की समाज में भूमिका और उनकी आत्म-छवि पर गहरा प्रभाव डालता हैं। परंपरागत रूप से, परिवार के प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या पुलिस से संपर्क स्थापित करने का हो।

यदि कोई कानून एक वयस्क महिला को किसी सरकारी दस्तावेज (सम्मन) की पावती कर पाने योग्य ही नहीं समझता है, तो इससे न केवल महिला वर्ग के समानता के अधिकार का हनन होता है, बल्कि उसकी गरिमा के साथ-साथ उसके जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 21 भी प्रभावित हो जाता है।

आज के इस आधुनिक समाज में सी०आर०पी०सी० की धारा 64 की प्रयोज्यता में सबसे बड़ी ख़ामी यह है कि यदि किसी परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति न्यायालय/वैधानिक विभाग ने अपरिहार्य की है, को बुलाने के लिए अंतत्वोगत्वा सिर्फ घर के कुछ विशिष्ट हिस्से में चस्पा करना ही एकमात्र विकल्प बचता है।[11] जब कभी किसी सम्मन की सुपुर्दगी अंततः दीवार पर चस्पा द्वारा कर दी जाती है, तो उस सुपुर्दगी को भविष्य में कभी एक साक्ष्य के रूप में दर्शा पाने में पुलिस अधिकारियों को काफी समस्याएं भी कोर्ट में देखने को मिल जाती है। जिसके परिणामस्वरूप, न्यायिक

9 एस० पी० गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया 1981 Supp SCC 87.

10 रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लि० बनाम प्रोप्रिएटर्स ऑफ़ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे लि० (1988) 4 SCC 592.

11 धारा 65, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.

प्रक्रिया में विलम्ब होने का एक और कारण बन जाता है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "त्वरित सुनवाई के अधिकार" का सीधा-सीधा उल्लंघन करता है।

III. धारा 64 से होने वाली जमीनी-स्तरीय समस्याएं और कानूनी त्रुटियाँ

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि इस कानून के कारण न्याय-प्रक्रिया में काफी विलम्ब और कार्य-स्थिरता देखने को मिलती है। सम्मन कब जारी किया ?, कैसे जारी किया ?, कहाँ जारी किया ?, किसको उपलब्ध करवाया ? उसकी तामील कैसे हुई ?, चस्पा किस जगह पर किया गया ?, चस्पा हुआ है या नहीं, इसका ठोस साक्ष्य क्या है ? इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर विपक्ष के वकील का ध्यान सबसे पहले जाता है और यदि वह इस सम्मन की प्रक्रिया से सम्बंधित किसी भी त्रुटि को निकाल देता है या सम्मन प्रक्रिया की छोटी सी भी अनियमितताओं को उजागर कर देता है, तो मात्र इसी बिंदु को ही आधार बनाकर, वो मुज़रिम को कानूनी चाबुक से आसानी से बचा ले जाता है, जो कि वास्तव में न्याय की विफलता का एक प्रमुख कारण बनता है।

इसी कानूनी अव्यवस्था के कारण, अधिकांश मुज़रिम लाभ उठा ले जाते हैं। इसका उपयुक्त उदहारण हमें एक केस में देखने को मिलता है, जिसका नाम है *सावन सिंह बनाम एम्परर (हज़ारा सिंह)*, जहां पर कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के लिए, आरोपी की माँ पर किया गया सम्मन किसी भी प्रकार से वैध नहीं होगा और ऐसे सम्मनों को तुरंत ख़ारिज कर दिया जाएगा।[12]

अगर व्यावहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस क़ानून के साथ और भी अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है:- जैसे- मान लो किसी भी घर में काम करने वाले पुरुष लगभग सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक घर पर नहीं मिलते हैं। इस दौरान महिलाएं अक्सर घर पर ही होती हैं। अगर इस स्थिति में हम महिलाओं को सम्मन प्राप्त करने के योग्य नहीं मानते हैं, तो ज़ाहिर है सम्मन की तामील बिलकुल भी समय पर नहीं हो पाएगी और नतीजन न्याय प्रक्रिया में विलम्ब होना लाज़मी हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस तरह महिलाओं को सम्मन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होने से आपराधिक मुक़दमों के फ़ैसलों में विलंब भी हो जाता है। यह सोचने की बात है कि उस परिस्थिति में क्या होता होगा, जब किसी व्यक्ति या आरोपी की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उसके विरुद्ध सम्मन जारी किया जाता है और वह व्यक्ति सिर्फ अपने महिला रिश्तेदारों के साथ ही रहता है ? अगर घर में अकेले मां-बेटे रह रहे हैं और बेटा किसी कारणवश घर से बाहर है, तो अगर किसी आपराधिक मामले में उस बेटे को सम्मन किये जाने की मांग की जाती है, तो उस परिस्थिति में मां द्वारा समन स्वीकार करने से इनकार में एक समस्या पैदा हो सकती है।

IV. धारा 64 में भेदभाव निहित होने के संभावित कारण

पुलिस की छवि :-एक कारण

इस भेदभाव को सींचने के पीछे एक प्रमुख मत यह भी था कि आपराधिक मामलों में सम्मन आमतौर पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा ही सौंपा जाता है और

12 सावन सिंह बनाम एम्परर (हज़ारा सिंह) 26 Cri.LJ 1925.

पुलिस की छवि उन दिनों प्रायः एक भयप्रद[13] और संजीदा प्राणी के रूप में ही उभर कर आती थी। इसलिए ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को पुलिस से जितना संभव हो सके उतना ही दूर रखना चाहिए। जबकि असल में देखा जाए तो ऐसी मानसिक धारणा रखना बिलकुल ही गलत था, क्योंकि वे भी मनुष्य ही हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों की ऐसी दूषित विचारधारा पुलिस विभाग के प्रति होना काफ़ी हानिकारक बात है, जो वास्तव में, नागरिकों की एक सच्ची मित्र होती है। इसलिए पुलिस और महिलाओं के बीच अकारण ही दीवार बनाकर यूँही तर्क देना काफ़ी अप्रासंगिक लगता है।

पर्दा प्रथा

कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी मानना था कि चूँकि उस समय महिलाएँ घर के बाहर नहीं निकलती थीं और न ही किसी गैर-मर्द से सम्पर्क कर सकती थीं, इसीलिए महिलाओं को किसी भी पुरुष से सम्मन लेने से इसलिए रोक दिया जाता था ताकि उनकी निजता को कहीं चोट न लगे। लेकिन यदि ऐसा भी है, तो संसद ऐसी सम्मानजनक एवं पर्दानशीं महिलाओं को सम्मन प्राप्त करने के दायरे से पहले ही बाहर कर सकती थी, बजाये समस्त महिलाओं को ही पूर्ण तरीके से वंचित करने के।

V. धारा 64 को तर्कयुक्त ठहराने वाली कुछ दलीलें

कुछ कानूनी-पंडितों ने धारा 64 की पैरवी करते हुए यह भी कहाँ है, कि भले ही इस प्रावधान में सिर्फ "वयस्क पुरुष" शब्द का ही प्रयोग कर पुरुषों को ही सम्मन स्वीकार करने हेतु सक्षम समझा जाता है, लेकिन इस प्रावधान में कहीं ऐसा भी नहीं लिखा है कि महिलायें किसी सम्मन को स्वीकार करने में अक्षम रहेंगी या उन्हें सम्मन स्वीकार करने से कोई रोक देगा। इस विषय पर स्पष्टता लाने के लिए, हमें न्यायालय के एक अहम फैसले का रुख़ करना जरूरी जान पड़ता है। यह फैसला मुम्बई हाई कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने वर्ष 1897 में तब दिया था, जब 'सिविल प्रक्रिया संहिता' में भी सम्मनों के मामले में महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी का सम्मन पत्र खुद से स्वीकार कर सकें। इस मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि एक सम्मन की सेवा के मामले में मौजूदा क़ानून के अंतर्गत ऐसा माना जाएगा कि न तो क़ानूनन एक महिला सम्मन स्वीकार कर सकती है और न ही ऐसा माना जाएगा की वह सम्मन की सूचना भी उस आदमी तक देने योग्य है।[14] एक और सवाल उठता है कि क्या General Clauses Act की धारा 13, जो कि यह कहती है कि, जब तक विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न लिखा हो तब तक पुरुषवादी लिंग का आयात करने वाले प्रत्येक शब्दों में महिलाओं को भी शामिल माना जाएगा। इस सवाल का जवाब काफी सरल है। धारा 64 बड़े ही सख्ती और स्पष्ट शब्दों में यह बयान करता है कि उसका प्रभाव सिर्फ पुरुषों पर ही हो सकता है। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि यदि वास्तव में संसद को धारा 64 के अंतर्गत महिलाओं को शामिल ही करना था, तो संसद को "वयस्क पुरुष सदस्य" की जगह सिर्फ "वयस्क सदस्य" लिखने में कोई आपत्ति न होती। अतः "पुरुष" शब्द का धारा 64 में इस्तेमाल

13 देखे, तुका राम बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र 1979 AIR 185.

14 भोमशेट्टी जिनप्पसहति बनाम उमा बाई 1897 21 ILR Bom. 223.

करना विधायिका के एक पुरुषप्रिय इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

इस विषय पर चिंतन एक बार वर्ष 2006 में मद्रास की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी किया जा चुका है।[15] हालाँकि, उस केस में याचिकाकर्ता द्वारा एक व्यक्तिगत हैसियत में ही मामले की पैरवी की गयी थी, इसलिए न्यायालय ने भी उस केस में कोई ठोस और सर्वहित-संबंधी फैसला देना उचित नहीं समझा।

VI. अन्य कानूनों में महिलाओं की पदवी

एक उल्लेखनीय तथ्य इसमें विचार करने का यह है कि जिस प्रकार से सम्मन के प्रावधान 'दंड प्रक्रिया संहिता' में निहित है, ठीक उसी प्रकार ही 'सिविल प्रक्रिया संहिता' में भी सम्मन के प्रावधान दिए गए है, जो लगभग एक समान ही है। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि 'सिविल प्रक्रिया संहिता' के अंतर्गत पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी सम्मन को सौंपने का प्रावधान वर्ष 1976 से मौजूद है,[16] जबकि दूसरी और 'दंड प्रक्रिया संहिता' के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही सम्मन को ग्रहण करने के काबिल माना जाता आ रहा है। इस तरह का एक परिवर्तन अब लंबे समय से आपराधिक कानून (अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता) में अपेक्षित है। गौरतलब है कि, जब 'भारतीय विधि आयोग' सामाजिक स्थिति में आ रहे परिवर्तनों पर ग़ौर कर रही थी, तब उन्होंने अपनी 37th लॉ कमीशन रिपोर्ट के गद्यांश क्रमांक 9 में सी०आर०पी०सी० और सी०पी०सी० में निहित सम्मन प्रक्रिया पर भी विश्लेषण किया था और यहाँ तक कि उनकी पारस्परिक तुलना भी की थी, लेकिन इस बात पर प्रकाश डालने में वे बिलकुल ही चूक गए कि 'सिविल प्रक्रिया संहिता' के अंतर्गत, एक सम्मन स्वीकार करने के लिए दोनों ही लिंगों के लोगों को अनुमति प्रदान की गयी है, जबकि 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' में ऐसा बिलकुल ही नहीं है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि लिंग-असमानता की नींव अभी के इस इक्कीसवीं शताब्दी में भी काफी गहरी बनी हुई है। हालाँकि, यह भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दिन-प्रतिदिन अपनी दृष्टि से उन सभी भेदभावपूर्ण कानूनों पर चाबुक भी चलाता आ रहा है। सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में, हमें कानून को इस औपनिवेशिक युग से सौंपे गए इन पितृसत्तात्मक प्रावधानों के अंतिम अवशेषों को बहाने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। यह प्रावधान ऐसे समय का अवशेष है जब वयस्क पुरुषों के पास ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने का अनन्य अधिकार और क्षमता होती थी।

हालाँकि, महिला सशक्तिकरण के तीव्र आंदोलन ने पिछले कई दशकों में प्रशंसनीय परिणाम दिया है। सबसे पहले इसका प्रभाव पर्सनल लॉ पर देखने को मिला था। महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में सुधार वर्ष 1937, 1956, और 2005 से निरंतर ही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम में देखने को मिलता आ रहा है, जहाँ पर अब बेटियों को कर्ता, प्रतिनिधिक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपना अधिपत्य बनाने का अवसर मिल रहा है।[17] हाल ही में , कुछ इसी

15 जी० कविता बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया Writ Petition (MD) No.2949 of 2004.

16 आर्डर V नियम 15, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908.

17 श्रेया विद्यार्थी बनाम अशोक विद्यार्थी AIR 2016 SC 139.

तर्ज पर ही "एडलट्री" (धारा 494 आई0पी0सी0) का मामला सामने आया था, जिसमे उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था कि आज के परिवेश में कानून को लिंग-तटस्थ करने की बहुत जरूरत हो गयी है और इस पर सरकार को ध्यान भी देना चाहिए।[18]

अगर कानूनों की कई और पुस्तकों में तलाशा जाए तो, ऐसा देखने को मिलता है कि पहले के समय में जितने भी क़ानूनों की रचनाएँ होती थीं, उन सब कानूनों में एक समानता तो जरूर ही रहती थी। वह यह थी कि, जहां कहीं भी किसी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों या बंधनकारक दायित्वों के निर्वहन की बात उठती थी, तो वहाँ पर महिलाओं को हमेशा से ही एक कदम पीछे रख दिया जाता था। जिस लिहाज़ में सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मन और नोटिस को सुपुर्द करने के लिए जगह-जगह "वयस्क पुरुष" को ही अधिकृत किया गया था, ठीक उसी प्रकार से ही, भारत में अभी भी ढेरों सारे ऐसे क़ानून मौजूद है जहाँ पर महिलाओं को एक ज़िम्मेदार और सक्षम मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनमे से कुछ केंद्रीय कानूनों की अगर बात की जाए तो वह निम्नलिखित है:-

- **वक्फ संपत्ति अधिनियम, 1995 की धारा 52(3)(b)**[19]
- **विमान अधिनियम 1934 की धारा 9-ए(3)(ii)**[20]
- **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 45(3)**[21] इस प्रावधान में निहित भेदभाव पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2008 में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कहा भी था कि इस क़ानून से लैंगिक समानता और महिलाओं की स्वायत्तता का उल्लंघन होता है, अतः बदलाव लाना जरूरी है।[22] वर्ष 2013 में जब भूमि अधिग्रहण का नया कानून आया है तब जाकर कहीं शब्द "किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य" को हटाकर "किसी भी वयस्क सदस्य" के साथ प्रतिस्थापित किया गया।

VII. उपसंहार

यह बड़ी ही गंभीर बात है कि भारतीय संविधान जैसे सशक्त कानूनी काव्य होने के बावजूद भी, कानून की नजर में देश की हजारों महिलाओं को अभी भी

18 जोसफ साइन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2019) 3 SCC 39.

19 धारा 52(3) वक्फ संपत्ति अधिनियम, 1995 states that "..Every order passed under sub-section (2) shall be served— (a) by giving or tendering the order, or by sending it by (b) if such person cannot be found, by affixing the order on some conspicuous part of his last known place of abode or business, or by giving or tendering the order to some adult male member or servant of his family…"

20 धारा 9-A(3) विमान अधिनियम 1934 states that "Where any notification has been issued under subsection (1) directing the owner or the person having control of any building, structure or tree to demolish such building or structure or to cut such tree or to reduce the height of any building, structure or tree, a copy of the notification containing such direction shall be served on the owner or the person having the control of the building, structure or tree, as the case may be, ……by delivering or tendering it to any officer of such owner or person or any adult male member of the family of such owner.

21 धारा 45(3) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 states that "When such person cannot be found, the service may be made on any adult male member of his family residing with him…."

22 https://nhrc.nic.in/press-release/nhrc-recommendations-relief-and-rehabilitation-displaced-persons.

अपने पुरुष समकक्षों के बराबर प्रतिनिधि पद से वंचित किया जाता आ रहा है। पारंपरिक प्रथा के अनुसार एक महिला को अपने घर की चार दीवारों को ही जानने का अधिकार होता था। रसायन विज्ञान के बारे में उनका ज्ञान सिर्फ रसोई घर में खाना पकाने तक ही सीमित होता था। लेकिन, यह एक खुशी की बात है कि आधुनिक दुनिया ने इन सदियों पुरानी प्रथाओं को बदलने में काफ़ी योगदान दिया है। अब महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त जिम्मेदारियों के साथ उच्च-पदों पर आसीन हैं। इसके साथ ही, परिवार और सामाजिक परिवेश के प्रति भी उनकी प्रतिबद्धता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(2) में यह प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग [भाग III] द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन लेता हो और यदि कोई क़ानून इस खंड का उल्लंघन करता है तो वह कानून, उस उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अतः अगर धारा 64 एवं इसके जैसे समस्त कानूनों को किसी भी कोर्ट में चुनौती दी जाए तो ऐसी पूरी संभावनाएं है कि वह कोर्ट इस क़ानून को तुरंत ही कानूनी पन्नों से ही ख़ारिज़ कर दे।

इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के 2014 के थर्ड जेंडर वाले फैसले[23] के आने के बाद (जिसमें तीसरे लिंग को एक नयी पहचान मिली थी) ऐसा लगता है कि, अब यह कहना कि सम्मन के प्रावधान में सिर्फ "महिला" शब्द जोड़ना भी गलत होगा। क्योंकि, इस केस में इस बात की पुष्टि भी की गई थी कि, भारत के संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार ट्रांसजेंडर लोगों पर भी समान रूप से ही लागू होंगे। अतः "महिला" शब्द के जोड़ने के बजाए, पूरे प्रावधान को ही लिंग-मुक्त कर दिया जाए, ताकि किन्नरों के लिए भी रास्ता बना रहे और वो अपना भी अधिकार सुरक्षित कर सके।

****

23 नालसा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया AIR 2014 SC 1863.

किशोर न्याय के आधार

श्री एम. पी. भारद्वाज
से.नि. अधिकारी, राज्य सभा

अपराधमुक्त समाज की अवधारणा को वास्तविक रूप देने के लिए विश्व भर में प्रयास किए जा रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक अपराधों की रोकथाम, अपराधियों के उपचार तथा समाज में उनके पुनर्वास के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। किशोर अपराधों की रोकथाम तथा किशोर न्याय का क्षेत्र भी इन बदलावों से अछूता नहीं है।

भारत में किशोर अपराधों की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिन्ता का विषय है। समाज का यह, मानसिक रूप से अपरिपक्व, संवदेनशील तथा असुरक्षित वर्ग अर्थात किशोर वर्ग (जिसमें देखभाल व संरक्षण के जरूरतमंद किशोर तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर शामिल हैं), सुस्थापित व सभ्य समाज की सहानुभूति व सहायता का उचित पात्र है। इस वर्ग के भावी जीवन की सकारात्मक व नकारात्मक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका उचित उपचार तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाना अति आवश्यक है ताकि ये भी अपनी नैसर्गिक क्षमता तथा देश में उपलब्ध कल्याणकारी अवसरों का लाभ उठा कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपना जीवन सुखी बना सके तथा देश व समाज के निर्माण में अपना यथाकिंचित योगदान कर सकें।

बालकों तथा किशोरों की अबोधता, मानसिक तथा बौद्धिक अपरिपक्वता और व्यावहारिक अनुभवहीनता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किए गए अपराधों को वयस्कों द्वारा किए गए अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए किशोर अपराधियों से सामान्य दांडिक न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं निपटा जाता है। ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए एक अलग कानून बनाया गया है।

स्वतन्त्र भारत में बालकों, किशोरों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए अलग कानून बनाए जाने की शुरूआत बाल अधिनियम, 1960 से हुई। वर्ष 1986 में इस अधिनियम को एक नया रूप देते हुए, किशोर न्याय अधिनियम 1986 के नाम से अधिनियमित किया गया। तब से लेकर अब तक किशोर न्याय अधिनियम में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा के विकास, राष्ट्रीय परिस्थितियों की माँग और इसके प्रशासन/क्रियान्वयन में पेश आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के मद्देनजर अनेक बार संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण), अधिनियम, 2000 (2000 का 56), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 33), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में जाना जाता है।

किसी भी कानून की सफलता की कसौटी उसका

कुशल एवं सुचारु प्रशासन/क्रियान्वयन होता है, जो सरकार के ठोस प्रयासों तथा जनसहयोग पर आधारित होता है। सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनमें पुलिस अधिकारी तथा अधिनियम को लागू करने वाली एजेन्सियों के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हैं, को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की सही भावना तथा सार तत्व को भली भाँति समझाया जाना चाहिए, ताकि उनके सही निर्वचन तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ-साथ जनसाधारण को भी अधिनियम तथा उसके उपबन्धों के महत्व के विषय में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि क्रियान्वयन में उनके स्वैच्छिक समर्थन तथा सहयोग को प्राप्त किया जा सके।

दुर्भाग्यवश, किशोर न्याय अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के विषयों के प्रति जन साधारण में व्यापक अनभिज्ञता देखी गई है। विगत में, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार तथा आम जनता को शिक्षित किये जाने की दिशा में और अधिक गंभीरता तथा ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भारत में, किशोर न्याय के इतिहास में पहली बार सरकार द्वारा किशोर न्याय के आधारभूत सिद्धांतों का खुलासा किशोर न्याय नियमावली, 2006 के अध्याय-2 में किया गया, जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण भाग II खंड – 3, उपखंड (1) से 472) में प्रकाशित अधिसूचना सा०का०नि०679 (अ) दिनांक 26 अक्तूबर, 2007 के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि :

(i) इन नियमों के उपबन्धों का क्रियान्वयन करते समय, यथास्थिति, राज्य सरकारें, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण या अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट इन सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे तथा इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

(ii) ये सिद्धांत, अन्य बातों के साथ-साथ, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुप्रयोग, निर्वचन तथा क्रियान्वयन के आधार होंगे।

आइए इन आधारभूत सिद्धांतों पर एक दृष्टि डालते हैं।

(I) निर्दोषता की प्रकल्पना का सिद्धान्त:

(क) किसी बालक, किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को 18 वर्ष की आयु तक असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय रखने का दोषी नहीं माना जाएगा।

(ख) बालक या किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के निर्दोष माने जाने के अधिकार को, समस्त न्याय एवं संरक्षण प्रक्रिया के दौरान, अर्थात बालक या किशोर के साथ प्रथम संपर्क से लेकर वैकल्पिक देखभाल तथा पश्चात्वर्ती देखभाल तक, मान्यता दी जाएगी।

(ग) किसी बालक या किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के किसी विधि विरूद्ध आचरण को, जिसे उसने जीवित रहने या परिस्थितियों के कारण अथवा वयस्कों के नियन्त्रण के अधीन होकर या साथियों के दबाव में आकर किया हो, निर्दोषता के सिद्धान्त के अन्तर्गत माना जाएगा।

(घ) निर्दोषता की प्रकल्पना के सिद्धान्त के संघटक तत्व :

(i) निर्दोषता की आयु

निर्दोष माने जाने की आयु वह आयु है जिससे कम आयु में किसी बालक या किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर पर दांडिक न्याय प्रणाली लागू नहीं की जा सकती।

किशोर न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली (बीजिंग नियमावली) के नियम 4(1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "मानसिक तथा बौद्धिक परिपक्वता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु बहुत कम निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।" इस सिद्धांत के अनुसार विश्व भर में किसी बालक या किशोर की मानसिक तथा बौद्धिक परिपक्वता की आयु 18 वर्ष से अधिक मानी गई है।

भारत में 2012 में हुए "निर्भया कांड" के विरोध में उमड़े व्यापक जन-आक्रोश तथा 16 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों द्वारा किए गए जघन्य तथा गंभीर अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2015 में किशोर न्याय अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिनमें निर्दोषता/आपराधिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में कुछ बदलाव किए गए। इनके अनुसार 16 वर्ष से 18 वर्ष के किशारों द्वारा जघन्य तथा गंभीर अपराध किए जाने पर उनके मामले का विचारण वयस्क की भाँति किया जाएगा। उन्हें मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। उनके लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास दंड निर्धारित किया गया।

(ii) निर्दोषता के सिद्धांत का प्रक्रियात्मक संरक्षण

संविधान तथा अन्य संविधियों द्वारा वयस्कों के लिए प्रत्याभूत प्रक्रियात्मक रक्षोपाय तथा बालक या किशोर की निर्दोषता की अवधारणा को बल प्रदान करने वाले सभी रक्षोपाय, बालकों, किशोरों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए प्रत्याभूत होंगे।

(iii) कानूनी सहायता व वादार्थ संरक्षक प्राप्त करने का प्रावधान

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को, उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। उन्हें वादार्थ संरक्षक तथा कानूनी व अन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान किये जाएंगे। इन प्रावधानों के अन्तर्गत किशोरों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला स्वयं प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना भी शामिल है।

(II) गरिमा और स्वाभिमान का सिद्धांत:

(1) बालक की गरिमा और स्वाभिमान की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार किया जाना, किशोर न्याय का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित इस मूल मानवाधिकार को दर्शाता है कि सभी मानव जन्म से स्वतन्त्र है तथा गरिमा व अधिकारों की दृष्टि से एक समान है। गरिमा के सम्मान के अन्तर्गत किसी को अपमानित न किया जाना, व्यक्तिगत पहचान, सीमाओं तथा स्वतन्त्रता को सम्मान दिया जाना, किसी को कलंकित न किया

जाना, सूचना प्रदान किया जाना तथा उसके कार्यों के लिए दोषी न ठहराया जाना शामिल है।

(2) कानून को लागू करने वाली एजेन्सियों द्वारा किसी बालक या किशोर के गरिमा एवं स्वाभिमान के अधिकार को, उसके मामले से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान अर्थात प्रथम सम्पर्क से लेकर उससे संबंधित उपायों के कार्यान्वयन तक पूर्ण सम्मान दिया जाएगा।

(III) सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत:

किशोर न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर, उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर, बालक के स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। सुने जाने के अधिकार के अन्तर्गत बालक के विकासात्मक स्तर के अनुसार उससे बातचीत करने के लिए उपयुक्त साधनों एवं प्रक्रियाओं का सृजन जैसे आवश्यक्ता पड़ने पर दुभाषिये की व्यवस्था करना इत्यादि, बालक के जीवन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों में उसकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना तथा विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद के समुचित अवसर प्रदान किया जाना भी शामिल हैं।

(IV) सर्वोत्तम हित का सिद्धांत :

(1) किशोर न्याय प्रशासन के संदर्भ में लिए जाने वाले सभी निर्णयों में प्रमुखत: बालक अथवा किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि उसके मामले में दांडिक न्याय, दण्ड एवं निरोध के परम्परागत उद्देश्यों के स्थान पर किशोर न्याय के पुनर्वास एवं पुनरुद्धार के सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए।

(3) इस सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक बालक की सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व को सुनिश्चित करके बालक को जीने तथा अपनी पूर्ण क्षमतानुसार विकसित होने में सहायता की जानी चाहिए तथा इस उद्देश्य से बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक सामाजिक एवं नैतिक विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(V) पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत:

(क) बालक के पालन-पोषण, देखरेख, उसे सहायता प्रदान करने तथा उसके संरक्षण का उत्तरदायित्व मुख्यत:, उसके जन्मदाता माता-पिता का होगा। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में यह उत्तरदायित्व उसे दत्तक लेने के इच्छुक या पालक माता-पिता को सौंपा जा सकता है।

(ख) बालक के संबंध में लिए जाने वाले सभी निर्णयों में बालक के जन्मदाता परिवार को भागीदार बनाया जाएगा, जब तक कि ऐसा किया जाना उस बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(ग) जन्मदाता परिवार या दत्तक ग्रहण करने वाला परिवार या पालक परिवार (इसी क्रम में) बालक के लिए उत्तरदायी होगा तथा उक्त परिवार, जब तक कि सर्वोत्तम हित के उपाय का अथवा

अन्यथा आदेश न दिया गया हो, इस अधिनियम के अधीन किशोर या बालक को आवश्यक देखभाल, सहायता एवं संरक्षण प्रदान करेगा और उसे अपनी देखरेख व अभिरक्षा में रखेगा।

(VI) सुरक्षा का सिद्धांत:

(1) किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को, आरंभिक संपर्क से लेकर, जितने समय तक वह देखभाल व संरक्षण व्यवस्था के विभिन्न चरणों में रहता है और उसके पश्चात भी किशोर न्याय प्रकिया के सभी चरणों में, किसी प्रकार की क्षति, शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यव्हार शारीरिक दंड, अथवा जेलों में एकान्त परिरोध या अन्य किसी प्रकार के परिरोध के अधीन उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। बालक या किशोर के संवेदनशील मन को किसी प्रकार के आघात/सदमे से बचाने के लिए उसकी पूरी देखभाल की जाएगी।

(2) राज्य का यह दायित्व है कि वह देखरेख व संरक्षण के नाम पर किसी प्रकार के निर्बन्धात्मक उपायों व प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना, देखरेख व संरक्षण के मामले में प्रत्येक बालक की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

(VII) सकारात्मक उपायों का सिद्धांत:

(1) किशोर या बालक के कल्याण की अभिवृद्धि के उद्देश्य से, सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ तैयार की जानी चाहिएँ तथा उनके माध्यम से, स्वयंसेवकों, एवं अन्य सामुदायिक समूहों, जैसे स्कूलों, तथा मुख्यधारा की अन्य सामुदायिक संस्थाओं अथवा प्रक्रियाओं के रूप में, सभी संभव संसाधन जुटाने वाले सकारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

(2) सकारात्मक उपायों का उद्देश्य बालकों तथा किशोरों में असुरक्षा की भावना तथा विधि के हस्तक्षेप की आवश्यकताओं को कम करना और किशोरों अथवा बालकों के साथ प्रभावी, न्यायोचित तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना है।

(3) सकारात्मक उपायों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पर्क, आजीविका, सुविधाएं, सृजनात्मकता एवं खेलकूद भी शामिल हैं।

(4) ऐसे सकारात्मक उपायों के द्वारा बालकों की पहचान विकसित होनी चाहिए तथा उन्हें विकास के लिए हर प्रकार का अनुकूल वातावरण प्राप्त होना चाहिए।

(VIII) कलंकित करने वाले शब्दों, निर्णय एवं कार्रवाई के निषेध का सिद्धांत:

इस अधिनियम के अधीन बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित कार्यवाहियों में ऐसे शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए जो कलंकित करने वाले न हो। इसमें प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले या अभियोगपरक शब्दों, जैसे, गिरफ्तारी, रिमांड, आरोपी, आरोपपत्र, विचाराधीन (ट्रायल) अभियोजन, वारण्ट, सम्मन, दोषसिद्धि, अन्त:वासी अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा, या जेल जैसे शब्दों के प्रयोग का निषेध किया गया है।

(IX) अधिकारों का अधित्याग न किए जाने का सिद्धांत:

(1) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर द्वारा स्वयं, अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा या बालक या किशोर की ओर से कार्यवाही में भाग ले रहे या दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, उस किशोर या बालक के अधिकारों का अधित्याग किया जाना न तो अनुज्ञेय होगा और न विधिमान्य होगा।

(2) किसी मौलिक अधिकार का प्रयोग न किया जाना उस अधिकार का अधित्याग नहीं है।

(X) समता और अविभेद का सिद्धांत:

(क) किसी भी बालक, किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ आयु, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मूलवंश, जातीयता, धर्म, जाति, सांस्कृतिक परम्पराओं, कार्य, बालक या किशोर के माता पिता या अभिभावकों के कार्यकलाप या व्यवहार या किशोर/बालक की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक बालक, या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को इस अधिनियम के अधीन पहुँच, अवसर, उपचार, व्यवहार की दृष्टि से समान अधिकार दिया जाएगा।

(XI) निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत:

इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों तथा देखभाल व संरक्षण प्रक्रिया के सभी चरणों में, बालक या किशोर की निजता एवं गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा सभी साधनों के द्वारा संरक्षण किया जाएगा।

(XII) "संस्था में भेजा जाना – अन्तिम विकल्प" का सिद्धांत:

किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को, युक्ति संगत जाँच के पश्चात, केवल अन्तिम विकल्प के रूप में ही किसी संस्था में भेजा जाएगा और वह भी न्यूनतम अवधि के लिए।

(XIII) प्रत्यावर्तन (स्वदेश/घर वापसी) एवं पुनरुद्धार:

(1) प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर का यह अधिकार है कि उसका अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन हो तथा उसे वैसा ही सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पुन:प्राप्त हो, जिसमें वह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आने से पूर्व या उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण से पूर्व रह रहा था।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई बालक, जिसका अपने परिवार से सम्पर्क नहीं रह गया हो, संरक्षण का पात्र होगा तथा उसे यथाशीघ्र उसके परिवार में वापस पहुँचाया जाएगा। किन्तु ऐसा तब नहीं किया जाएगा, जब ऐसा करना बालक या किशोर के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध हो।

(XIV) नव प्रारम्भ का सिद्धांत:

यह सिद्धांत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर का पिछला रिकार्ड समाप्त किया

जाना सुनिश्चित करके जीवन की नयी शुरुआत करने को प्रोत्साहन देता है।

(1) राज्य, विधि के साथ टकराव के लिए अभिकथित या चिन्हित किए गए बालकों से निपटने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का आश्रय न लेकर अन्य उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

बालक या किशोर चाहे वे किसी देश, धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय, वर्ग, भाषा या लिंग से संबद्ध हों और चाहे वे वैवाहिक संबंधो से जन्मे हों या अन्यथा मानव समाज की जीवन्त आस्ति है। इसलिए इस विषय की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए उन्हें उनकी वर्तमान असुरक्षित व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए उनके लालन पालन, विकास, संरक्षण प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किशोर न्याय एक संवेदनशील मुद्दा है। किशोर न्याय के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी ये आधारभूत सिद्धांत एक स्तुत्य कदम है। ये सिद्धांत किशोर अपराधों तथा किशोर न्याय प्रक्रिया से जुड़ी अनेक भ्रान्तियों को दूर करने में सक्षम है।

अत: इन सिद्धांतों का सरकारी तथा सामाजिक स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।

संदर्भः-

- डॉ. बासु. डी. डी. 2020 : भारत का संविधान एक परिचय, तेरहवां संस्करण, लेक्सी सनेक्सस
- प्रो. भटाचार्य त्रिदिवेश 2010 : भारतीय दण्ड संहिता, पंचम संस्करण, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन
- डॉ. अस्टम, भारतीय दंड संहिताः (2016) एन वी परांजपे संस्करण सेंट्रल लॉ एजेंसी।
- Gaurav Jain v. Union of India AIR 1990 SC 292
- Vishaljeet v. Union of India AIR 1990 SC 1412

****

भारत में आत्महत्या – एक परिदृश्य

श्री लक्ष्य
शोधार्थी, जै.वि.भा. संस्थान

आत्महत्या एक अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है।

-फिल डोनह्यू

मानव जीवन ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत चीज है, इसके बावजूद इंसान इसे खत्म करने पर तुला हुआ है। मानव जीवन जो इस पृथ्वी पर आने में सतरंगी सपनों से लेकर नौ माह का समय लेता है, वह एक दिन अचानक अपनों को रोता-बिलखता छोड़कर चल देता है, अज्ञात में अपना सुख खोजने के लिए। क्या यह संभव है कि मृत्यु के बाद सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? असमय प्रकृति का नियम तोड़ने से हो सकता है कि मनुष्य और अधिक अनजानी एवं अजीब समस्याओं के जाल में उलझ के ही रह जाए। बहरहाल, भारत में आत्महत्याओं के बढ़ते हुए आँकड़ों से निकलती हुई आहों को हम अनसुना नहीं कर सकते।

आत्महत्या (लैटिन *suicidium, sui caedere* से, जिसका अर्थ है "स्वयं को मारना") जानबूझ कर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्य करना है। आत्महत्या अक्सर निराशा के चलते की जाती है, जिसके लिए अवसाद, द्विध्रुवीय विकार, मनोभाजन, शराब की लत या मादक दवाओं का सेवन जैसे मानसिक विकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तनाव के कारक जैसे वित्तीय कठिनाइयाँ या पारस्परिक संबंधों में परेशानियों की भी अक्सर एक भूमिका होती है। आत्महत्या को रोकने के प्रयासों में आग्नेयास्त्रों तक पहुंच को सीमित करना, मानसिक बीमारी का उपचार करना तथा नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना तथा आर्थिक विकास को बेहतर करना शामिल हैं।

आत्महत्या करने के लिए उपयोग की जाने वाली आम विधि, विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है और आंशिक रूप से उपलब्धता से संबंधित है। इन विधियों में लटकना, कीटनाशक, ज़हर पीना और बंदूक आदि का उपयोग शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करीब आठ से दस लाख लोग खुदकुशी करते हैं तथा यह संसार में मानव मृत्यु के प्रमुख कारणों में दसवें नम्बर पर है। संसार में हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाता है, ये आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पर आधारित है, पुरुषों में महिलाओं की तुलना खुदकुशी करने की संभावनातीन से चार गुना तक अधिक है। अनुमानतः प्रत्येक वर्ष 10 से 20 मिलियन गैर-घातक आत्महत्या प्रयास होते हैं। युवाओं तथा महिलाओं में प्रयास अधिक आम हैं।

प्रत्येक आत्महत्या एक व्यक्तिगत त्रासदी है जो समय से पहले एक व्यक्ति के जीवन को हर लेती है और उस व्यक्ति के परिवारों, दोस्तों और समुदायों के जीवन को बेहद प्रभावित करती है। हमारे देश में प्रति

वर्ष 1,00,000 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के विभिन्न कारण हैं जैसे नौकरी/करियर की समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, परिवार की समस्याएँ, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराने दर्द आदि।

हमारे देश में, विभिन्न एजेंसियों के साथ-साथ, गृह मंत्रालय का **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो**, राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आत्महत्या के मामलों के आंकड़ों को एकत्र करता है। गैर-जनगणना वर्षों के लिए अनुमानित जनसंख्या का उपयोग करते हुए आत्महत्या की दर की गणना की गई है, जबकि जनगणना वर्ष 2011 के लिए, जनसंख्या जनगणना 2011 का उपयोग किया गया है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान, देश में कुल 1,53,020 आत्महत्याएं दर्ज की गई और 2019 की तुलना में 2020 के दौरान आत्महत्याओं की दर में 0.9 की वृद्धि हुई है। जिसका विवरण नीचे तालिका - 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 1**

वर्ष 2014-20 के दौरान आत्महत्यों की संख्या, जनसंख्या में वृद्धि एवं आत्महत्या की दर

क्र.सं.	वर्ष	आत्महत्या के कुल मामले	मध्य-वर्ष अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	आत्महत्या की दर (कॉल.3/कॉल.4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2014	1,31,666	12,440.4	10.6
2	2015	1,33,623	12,591.1	10.6
3	2016	1,31,008	12,739.9	10.3
4	2017	1,29,887	13,091.6	9.9
5	2018	1,34,516	13,233.8	10.2
6	2019	1,39,123	13,376.1	10.4
7	2020	1,53,020	13,533.9	11.3

**स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में आत्महत्याओं की संख्या और प्रतिशत हिस्सा

आत्महत्या की घटनाओं पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2020 के दौरान कुल आत्महत्याओं में इसकी प्रतिशत हिस्सेदारी और आत्महत्या की दर, तालिका -2 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका – 2 **

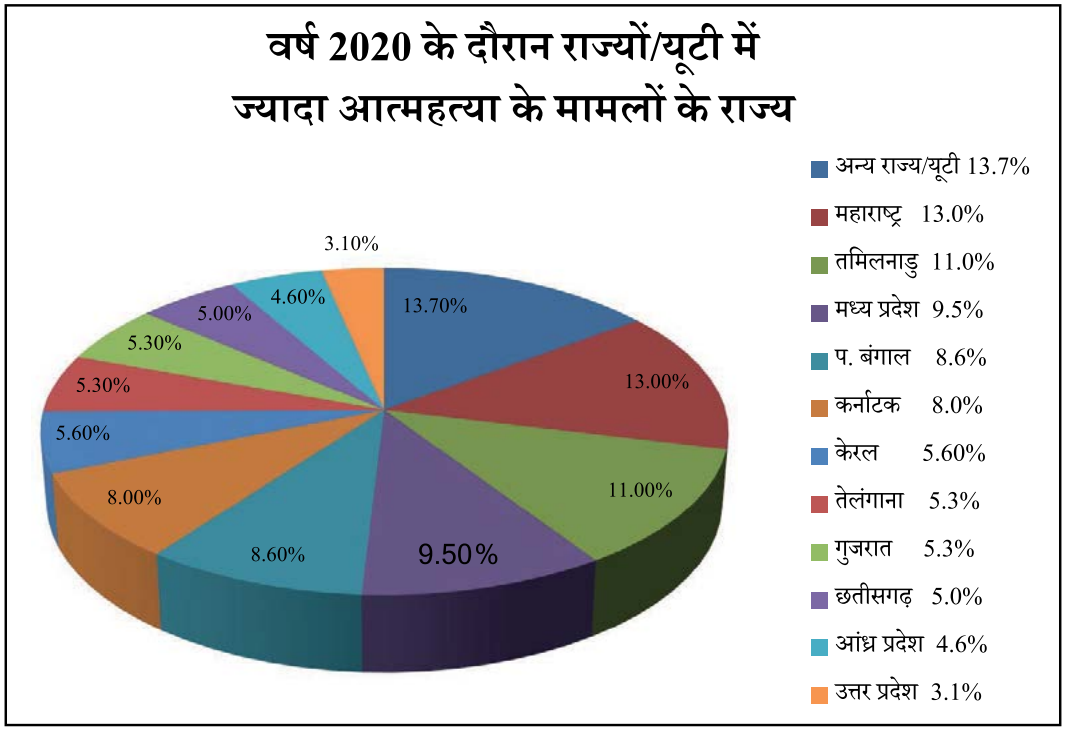

**स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका-2 में दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में आत्महत्याओं की बड़ी संख्या (19,909) दर्ज की गई, इसके बाद तमिलनाडु में 16,883 आत्महत्याएँ, मध्य प्रदेश में 14,578 आत्महत्याएँ, पश्चिम बंगाल में 13,103 आत्महत्याएँ और कर्नाटक में 12,259 आत्महत्याएँ दर्ज की गई जिनका प्रतिशत कुल प्रतिशत का क्रमशः 13.0%,11.0%, 9.5%, 8.6% और 8.0% है। इन 5 राज्यों में, देश में दर्ज कुल आत्महत्याओं का 50.1% हिस्सा रहा। शेष 23 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में 49.9% आत्महत्याओं की जानकारी मिली ।

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, देश की आबादीका लगभग 16.9 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है जबकि पूरे देश में आत्महत्यों से होने वाली मौतों की उसकी हिस्सेदारी केवल 3.1 प्रतिशत है।

लिंग एवं उम्र समूहों के अनुसार आत्महत्या के पीड़ित

वर्ष 2020 में आत्महत्या करने वालों में, पुरुष एवं महिला का समग्र अनुपात 70.9 : 29.1 था, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में बढ़ा हुआ है। महिला पीड़ितों में विवाह से संबंधित मुद्दे अधिक थे जिनमें विशेष रूप से दहेज संबंधित मुद्दे और 'नपुंसकता / बांझपन' है। 18 से ऊपर - 30 वर्ष से कम के आयु समूह और 30 वर्ष से ऊपर 45 वर्ष से कम आयु समूह के लोगों ने सबसे अधिक आत्महत्या का सहारा लिया। इन आयु समूह में 34.4% और 31.4% आत्महत्या के लिए 'पारिवारिक समस्याएं' (4,006), प्रेम मामले (1,337) और 'बीमारी'(1327) मुख्य कारण (18 वर्ष से कम

आयु) थे।

आत्महत्या पीड़ितों की प्रोफेशनल स्थिति

आत्महत्या पीड़ितों की प्रोफेशनल स्थिति को तालिका-3 में दर्शाया गया है। वर्ष 2020 के दौरान कुल महिला पीड़ितों में से 50.3% (44,498 में से 22,372) गृहिणियां थी और वह वर्ष 2020 में आत्महत्या करने वालों के कुल पीड़ितों की 14.6% (1,53,052 में से 22,372) थी।

सरकारी सेवकों का प्रतिशत, कुल आत्महत्या पीड़ितों का 1.3% (2057) रहा जब कि निजी क्षेत्र के उद्यमों के पीड़ित 6.6% थे (1,53,052 में से 10,166)। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का प्रतिशत 1.7% (2,602) था। जबकि छात्रों और बेरोजगार पीड़ितों में क्रमशः आत्महत्या का प्रतिशत 8.2% (12,526 पीड़ित) और 10.2% (15,652 पीड़ित) था। स्व-रोजगार की श्रेणी में कुल आत्महत्या पीड़ितों का 11.3% (1,53,052 में से 17,332) था।

तालिका – 3**

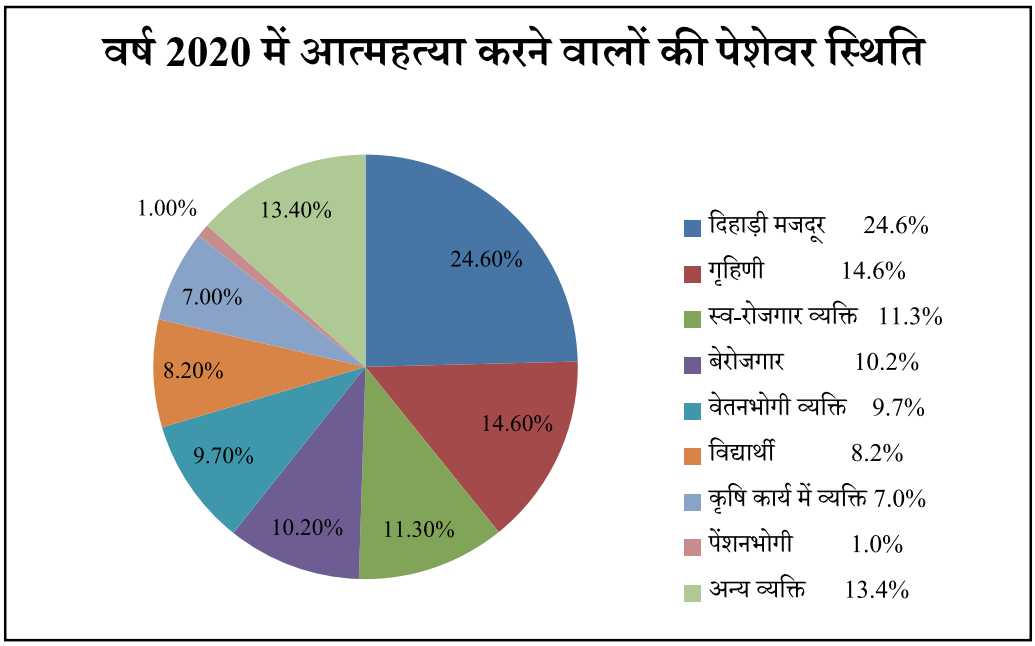

**स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

उपर्युक्त आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय समाज में आत्महत्यों की बढ़ती हुई संख्या का कोई एक विशेष कारण नहीं है। इन कारणों में, आर्थिक, सामाजिक, भौतिकवाद, भूमंडलीकरण आदि बहुत से कारण सम्मिलित है तथा किसी एक कारण को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सहनशीलता का कम होना – भारतीय समाज में मनुष्य पहले कभी-भी इतना कमजोर नहीं था जितना अब दिखाई दे रहा है। हमारे देश की संस्कृति में, कम सुविधा व सीमित संसाधनों में संतोष रखना और सुखी रहने का गुण रचा-बसा है। हमारी आध्यात्मिकता ही, इसका सबसे बड़ा आधार रही है। हमारी सोच ईश्वर में विश्वास कर हर परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य रखने की है। समाज में अब विलासतापूर्ण वस्तुओं ने धीरे-धीरे जरूरतों का रूप धारण करना आरंभ कर दिया है।

जैसे-जैसे आर्थिक उदारीकरण और टेक्नोलॉजी ने चारों दिशाओं में अपने पंख पसारे हैं, वैसे-वैसे तेजी से एक साथ सब कुछ हासिल करने की लालसा भी तीव्रतर हो गई है। साधन और सुविधा पर सबका समान हक है मगर उस हक को पाने में क्यों कुछ लोगों को सब कुछ दाँव पर लगा देना पड़ता है और क्यों कुछ लोगों के लिए वह मात्र इशारों पर हाजिर है। जीवन स्तर की यह असमानता ही सोच और व्यक्तित्व को कुंठित बना रही है। जबकि सोच की दिशा यह होनी चाहिए कि मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल करना संभव है बशर्ते धैर्य बना रहे। लेकिन विडंबना यह है कि समय के साथ सहनशक्ति और समझदारी विलुप्त हो रही है।

सामाजिक-पारिवारिक संरचना का टूटना – बदलते दौर में टीवी-संस्कृति ने परस्पर संवाद को कमतर किया है। परिणाम-स्वरूप माता-पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं बचा है। यह स्थिति दोनों ही तरफ है। आज का किशोर और युवा भी व्यस्तता से त्रस्त है। कंप्यूटर-टीवी ने खेल संस्कृति को डसा है। आउटडोर गेम्स के नाम पर बस क्रिकेट बचा है। टीम भावना विकसित करने वाले, शरीर में स्फूर्ति प्रदान करने वाले और खुशी-उत्साह बढ़ाने वाले खेल अब विलुप्त हो रहे हैं। यही वजह है कि ना बाहरी रिश्तों में सुकून है ना घर के रिश्तों में शांति। दोस्ती व संबंधों का सुगठित ताना-बाना अब उलझता नजर आ रहा है। कल तक जो सबल और सहारा हुआ करते थे आज वे बोझ और बेमानी लगने लगे हैं।

देश की युवा शक्ति में बिखराव क्यों है – देश की युवा शक्ति आज के हाँफते-भागते दौर में अस्त-व्यस्त, त्रस्त है या फिर अपनी ही दुनिया में मस्त है। आत्मकेन्द्रित युवा अपने सिवा किसी को देख ही नहीं रहा है। जब उसे पता ही नहीं है कि दुनिया में उससे अधिक दुखी और लाचार भी हैं तब वह अपने दुख-तकलीफों को ही बहुत बड़ा मान लेता है। घर आने पर कोई उससे यह पूछने वाला नहीं है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। हर कोई टीवी के कार्यक्रमों के अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित करने में लगा है। किसे फुरसत है अपने ही आसपास टूटते-बिखरते अपने ही घर के युवाओं को जानने-समझने की, उनकी भावनात्मक जरूरतों और वैचारिक दिशाओं की जाँच-पड़ताल करने की?

एक दिन जब वह आत्मघाती कदम उठा लेता है तब पता चलता है कि ऊपर से शांत और समझदार दिखने वाला युवा भीतर कितना आँधी-तूफान लिए जी रहा था। वास्तव में माता-पिता को समय के साथ बदलना होगा। कब तक सारी की सारी अपेक्षाएँ संतान से ही की जाती रहेगी। ढेर सारे सामाजिक दबाव, सारी जिम्मेदारियाँ उसी की क्यों, सारे समझौते वही क्यों करें? दबाव की इस स्थिति को माँ-बाप, निकट रिश्तेदार और मित्र ही कुशलता से निपट सकते हैं।

समाधान हमारे भीतर ही है – जी हाँ, समाधान कहीं और से नहीं हमारे ही भीतर से आएगा। खुद को खत्म कर देने की बात जब आती है तो दूसरों को दोष देने में थोड़ा संकोच होता है। वास्तव में हम स्वयं ही हमारे लिए जिम्मेदार होते हैं। कोई भी दुख या तकलीफ जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा दौर आता है जब सबकुछ समाप्त सा लगने लगता हैं लेकिन खुद ही खत्म होना समस्या का समाधान नहीं है।

हर आत्महत्या करने वाले को एक बार, सिर्फ

एक बार यह सोचना चाहिए कि क्या उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी है। इस जिंदगी पर कितने लोगों का हक है, क्या उसे पता है? क्या वह जानता है कि उसकी मौत के बाद उसका परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, करीबी लोग कितनी मौत मरेंगे। हमें कोई हक नहीं उस जिंदगी को समाप्त करने का जिस पर इतने लोगों का अधिकार है।

जब रोशनी की एक महीन लकीर अंधेरे को चीर सकती है, जब एक तिनका डूबते का सहारा हो सकता है और एक आशा भरी मुस्कान निराशा के दलदल से बाहर ला सकती है तो फिर भला मौत को वक्त से पहले क्यों बुलाया जाए? जिंदगी परीक्षा लेती है तो उसे लेने दीजिए, हौसलों से आप हर बाजी जीतने का दम रखते हैं, यह विश्वास हर मन में होना चाहिए।

संदर्भः-

- डॉ. बी पी मैथिल, डॉ. राजेश मिश्रा, न्यायालयिक विज्ञान एवं अपराध अनुसंधान, द्वितीय संस्करण, एस.एस. बी. प्रकाशन एवं वितरण, दिल्ली।
- पिल्ले. वी. वी., फॉरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, 16वां संस्करण, पारस मेडिकल प्रकाशन-2011
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक-2020

****

सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा – चुनौतियां एवं पुलिस की भूमिका

सुश्री चेतना भाटी
पुलिस उप अधीक्षक, उदयपुर, राजस्थान

आज का युग विज्ञान का युग है विज्ञान के इस युग में सोशल मीडिया का महत्व बहुत बढ़ गया है सोशल मीडिया के बढ़ते हुए महत्व के कारण आमजन जिसमें विशेषकर महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ी हुई है और भी प्रभावित होती हैं। सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से हर आम आदमी अपनी बात को आम जनता तक पहुंचा सकता है, लिख सकता है, देख सकता है और समझ सकता है। वर्तमान युग मे जब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक चीजें बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में, छोटे से छोटा बच्चा भी इससे जुड़ा हुआ है। इस जुड़ाव के कारण कई बार वह अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कई बार ऐसी चीजें भी उसके हाथ में आ जाती हैं या ऐसा ज्ञान भी उसे हासिल हो जाता है जिसका वह दुरुपयोग करता है और इस वजह से वह कई बार कानूनी प्रपंच में फंस जाता है। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जेल की हवा खानी पड़ती है और इससे समाज में एक गलत संदेश जाता है।

सोशल मीडिया की परिभाषा

सोशल मीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सोशल और मीडिया। सोशल मीडिया सेवा एक ऐसा मंच है जो वेब बेस्ड सर्विस है जिसमें लोग व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं या लोगों के समूह से जुड़े होते हैं।

सोशल मीडिया का विस्तार

पहले व्यक्ति के पास अपनी बात कहने के मुख्य रूप से 2 तरह के मंच थे जिसमें एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया वह मंच है जिसमें पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से विभिन्न प्रकार की घटनाओं की जानकारी जनता को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह साधन है जिसमें टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि से जनता को जानकारी मिलती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आगे सोशल मीडिया चल रहा है। सोशल मीडिया के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी बात, घटना की जानकारी जो उसने देखी है उसका वर्णन तुरंत भेज सकता है। सोशल मीडिया में सोशल का अर्थ सामाजिक और मीडिया का अर्थ है संचार माध्यम। सोशल मीडिया की वजह से आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों के आदान-प्रदान के साथ ही बातचीत और संपर्क आसानी से इन्टरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज की दुनिया में रिश्तेदारी और मित्रता को बनाए रखने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस प्लेटफार्म को उपयोग में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है – इन्टरनेट। जिसके उपयोग से हम सोशल

मीडिया का उपयोग आसानी से कर पाते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों से जो ख़बरें हमें मिलती थीं वो ख़बरें तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। उनके संबंध में, यदि कोई फोटो हो तो वह इन्टरनेट के माध्यम से हमें उपलब्ध हो जाती है। किसी भी ख़बर को तुरंत जनता तक पहुँचाने में सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सोशल मीडिया से विचारों का आदान-प्रदान दो तरीके से होता है एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक विचारों के अंतर्गत केवल चुनिंदा लोगों को ही चयनित किया जाता है। बाह्य विचारों के अंतर्गत बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के समूहों से जुड़े होते हैं और उस समूह के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान होता है।

सोशल मीडिया के मंच

सोशल मीडिया के विभिन्न मंच है जिनमें से कुछ प्रमुख मंच इस प्रकार हैः-

1. व्हाट्सएप
2. फेसबुक
3. इंस्टाग्राम
4. ट्विटर
5. मैसेंजर
6. यू-टयूब आदि

महिलाओं की सुरक्षा और चुनौतियां

समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत बड़ी भागीदारी महिलाओं की है। महिलाएं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के द्वारा अपने परिजनों, मित्रों एवं परिचितों के साथ जुड़ी हैं। लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण कुछ अपराध प्रवृत्ति के लोग, इन महिलाओं के इस मंच में सेंधमारी कर उनके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देते हैं।

सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए चुनौतियां

(क) **फर्जी पहचान बनानाः-** महिलाओं की फेक आईडी बनाकर उनके नाम का दुरुपयोग कर कई प्रकार की गैरकानूनी वारदातों को अंजाम दिया जाता है जिसकी वजह से न केवल महिलाओं की बदनामी होती है, वरन् कई बार महिलाओं को अनावश्यक रूप से पुलिस थाने के चक्कर भी काटने पड़ते हैं और कोर्ट में भी जाना पड़ता है। फेक आईडी की वजह से न केवल महिला, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी सामाजिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

(ख) **फोटो एडिटिंगः-** दूसरी बड़ी समस्या फोटो एडिटिंग की होती है जिसकी वजह से कुछ महिलाओं के, बालिकाओं के फोटो, अश्लील फोटो के रूप में बना दिए जाते हैं और उनका प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर किया जाता है जिसकी वजह से बालिकाएं और महिलाएं समाज हीन भावना को महसूस करती हैं। उनकी निजता (Privacy) के हनन होने के साथ-साथ उनके परिवार में भी बहुत समस्याएं आ जाती हैं। फोटो एडिटिंग की वजह से कुछ महिलाएं और बच्चियों के फोटो पुरूषों और लड़कों के साथ में एडिट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से समाज में उन बालिकाओं को, महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और उन वायरल फोटो की वजह से उनकी जिंदगी नरक हो जाती है।

(ग) **अश्लील संदेश:-** तीसरी सबसे बड़ी समस्या अश्लील संदेश की आती है जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व, अपराधी किस्म के लोग महिलाओं और बालिकाओं को परेशान करने की नियत से उन्हें अश्लील संदेश भेजते हैं या उनके नाम से अश्लील संदेश दूसरों को जोड़कर (Add) भेजते हैं इसकी वजह से भी महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

(घ) **व्हाट्सएप कॉल:-** चौथी समस्या महिलाओं को आने वाली व्हाट्सएप कॉल से होती है इंटरनेट का दुरुपयोग करके कुछ लोग व्हाट्सएप से वॉइस कॉल करते हैं जिससे वे बालिकाएं और महिलाएं परेशान होती है।

(ङ) **वीडियो कॉल:-** पांचवीं समस्या वीडियो कॉल की वजह से है जिसमें कुछ असामाजिक तत्व बालिकाओं, महिलाओं के नंबर लेकर उनको वीडियो कॉल करते हैं और उनको अश्लील इशारे, अश्लील मैसेज एवं अश्लील कमेंट करते हैं और उनको वीडियो कॉल के माध्यम से अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य भी करते हैं।

(च) **फेसबुक फ्रेंड की रिक्वेस्ट:-** गलत आईडी का उपयोग करके या महिलाओं और बालिकाओं को फेसबुक फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेज कर कुछ लोग उनसे फेसबुक के माध्यम से फ्रेंडशिप करते हैं और धीरे-धीरे उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। जाल में फंसने के बाद फोन पर उनकी सारी डिटेल्स पूछ लेते हैं और उनसे ओटीपी नंबर पूछकर उनके साथ में कई बार बैंकिंग फ्रॉड भी हो जाता है जिसके कारण महिलाओं को आर्थिक रूप से नुकसान होता है।

(छ) **मैसेंजर:-** फेसबुक फ्रेंड और मैसेंजर के द्वारा दोस्ती करके कुछ लोग महिलाओं और बालिकाओं को ब्लैकमेल करते हैं जिसके कारण से उन्हें कई बार आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसे मामले भी हमारे सामने आते हैं कि ब्लैकमेलिंग की वजह से बालिकाएं घर से भाग जाती हैं और भागने के साथ-साथ वह कई बार अपने माता-पिता के गहने और रूपए भी चुरा कर ले कर जाती हैं। इस प्रकार व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की जो दोस्ती गलत लोगों के साथ होती है उस वजह से वह अपराध की ओर अग्रसर भी हो जाती हैं।

महिलाओं को, बालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह की मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली घटना न हो। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए उपयोग से और इंटरनेट से आजकल फोन नंबरों को हैक कर लिया जाता है, खातों को हैक कर लिया जाता है और उनका दुरुपयोग साइबर अपराधियों के द्वारा किया जाता है। चूंकि महिलाएं और बालिकाएं समाज के एक संवेदनशील वर्ग से जुड़ी हैं इसलिए वे कई बार अपनी समस्याओं से अनभिज्ञ रहती हैं और उन्हें इन चीजों का पता भी नहीं चलता है जिसके कारण भी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सोशल मीडिया और इंटरनेट का दुरुपयोग कर कुछ लोग विभिन्न प्रकार की वेबसाइट का निर्माण करते हैं जिसमें महिलाओं का सिस्टर रूपण, बालिकाओं का अशिष्ट रूपण, बालक-बालिकाओं की अश्लील फिल्में, अश्लील गाने भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको इंटरनेट

पर अपलोड कर देते हैं जिससे लोगों द्वारा उन वीडियों को ज्यादा से ज्यादा देखने पर उनको आमदनी होती है। इस प्रकार की अश्लील वीडियो समाज में न केवल हिंसा फैलाती हैं, वरन् सीधे-साधे, भोले-भाले लोगों को गलत जाल में फंसने को मजबूर करती हैं और लोग अपराध की ओर अग्रसर होते हैं।

इंटरनेट का उपयोग करके कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं और बालिकाओं की बिना स्वीकृति के विभिन्न प्रकार के ग्रुप बना देते हैं और उसमें उन पर टिप्पणियां करते हैं जिसकी वजह से भी उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है।

सोशल मीडिया में महिलाएं और बच्चे अपनी निजी सूचनाएं अपने फोटो वीडियो अपलोड करते हैं जिससे निजता के भंग होने की बहुत संभावना रहती है क्योंकि अपराधी किस्म के लोग इनकी सूचनाएं हैक कर लेते हैं।

सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह विज्ञान और तकनीकी की बहुत बड़ी देन है। हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, जो महिलाएं हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर रही हैं। आज के युग में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम काफी हद तक निर्भर हो गए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं एवं पुरूष इसका लाभ उठा रहे हैं और सोशल मीडिया ने महिलाओं की सोच को बदला है और उन्हें अभिव्यक्ति का एक अच्छा मंच प्रदान किया है। साथ ही साथ महिलाओं को रूढ़िवादी विचारों से बाहर निकल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है।

सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं न केवल स्वयं सशक्त होती है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत का कार्य करती हैं। जब कोई महिला अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य को सोशल साइट पर शेयर करती है तो उससे दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सोशल मीडिया का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे जहां हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, बाहर हैं, वहीं पर वे इंटरनेट के माध्यम से अपने परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों से अपने चाहने वालों से जुड़ सकती हैं और अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकती हैं।

समय-समय पर हुए शोध के अनुसार करीब एक तिहाई महिलाएं कहीं न कहीं पर साइबर हिंसा या साइबर क्राइम का शिकार जरूर होती हैं। महिलाएं जाने-अनजाने में अपने मोबाइल नंबर अपरिचित को दे देती हैं जिसकी वजह से वह उनको अपने जाल में फंसा कर उनका पीछा करते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेते हैं और विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं।

अपराधों के प्रकार

(क) **साइबर स्टॉकिंग:-** किसी को बार-बार टेक्स्ट मैसेज भेजना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, स्टेटस अपडेट पर नजर रखना और इंटरनेट मॉनिटरिंग इस अपराध की श्रेणी में आते हैं। आईपीसी की धारा 354क के तहत यह दंडनीय अपराध है।

(ख) **फाइबर स्पाइन:-** आईटी एक्ट की धारा 66 ई के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है इसमें चेंजिंग रूम, लेडीज वॉशरूम, होटलों के कमरे और बाथरूम जैसी जगह पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए जाना है।

(ग) **साइबर पॉर्नोग्राफी:-** इसके तहत महिलाओं के अश्लील फोटो या वीडियो हासिल कर उन्हें

ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है। अधिकांश मामलों में अपराधी फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बदनाम कर परेशान और ब्लैकमेल करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के अपराध आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए के अंतर्गत आते हैं।

(घ) **साइबर बुलिंग:-** इसमें साइबर अपराधी पहले महिलाओं या लड़कियों से दोस्ती करते हैं फिर उन्हें विश्वास में लेकर नजदीकियाँ बढ़ाने के बाद महिलाओं या लड़कियों के निजी फोटो हासिल कर लेते हैं इसके बाद पीड़िता से मनचाहा काम करवाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं।

महिला की सुरक्षा - चुनौतियां और पुलिस की भूमिका

वर्तमान परिपेक्ष्य में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है और पुलिस की भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गई है। यद्यपि महिलाओं पर होने वाले साइबर क्राइम के संबंध में, सरकार ने समय-समय पर अनेक कानून बनाए, लेकिन कानूनों का सही तरीके से उपयोग कर पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करना पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या किसी भी मुकदमे के दर्ज होने पर अपराधी का पता लगाना है। इस संबंध में पुलिस को कई तरह से कड़ी से कड़ी जोड़कर अपराधी तक पहुंचना होता है जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अगर आरोपी ने स्वयं के नाम से कोई सिम नहीं ली है और फेक नाम वाली सिम है तो आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस सेकेंड लाइन का इस्तेमाल करती है कि उस फोन से दूसरे फोन कहां हुए।

पुलिस का कर्तव्य है कि वह किसी भी महिला या बालिका की शिकायत आने पर तुरंत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, जल्दी से जल्दी उसको न्याय प्रदान कराने की कोशिश करे। व्यापक रूप से आईटी एक्ट की धारा और साइबर से संबंधित जो अपराध हैं उनका प्रचार-प्रसार हो। काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि वह क्या अपराध करने जा रहे हैं? कौन सी चीज अपराध है कौन सी नहीं है? इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार होना चाहिए इस संबंध में छोटी-छोटी फिल्में बननी चाहिए, नाटक होने चाहिए एवं गीत तैयार होने चाहिए। इनका दूरदर्शन (टीवी) पर व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इसके संबंध में जानकारी देनी चाहिए।

समय-समय पर विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा इसके लिए आयोजित किए जाने चाहिए ताकि नया तकनीकी ज्ञान पुलिसकर्मियों को प्राप्त हो सके। थाना स्तर पर अनुसंधान अधिकारी के पास साइबर क्राइम का अनुसंधान करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती है। बड़े स्तर की सुविधाओं को छोड़ें तो सबसे महत्वपूर्ण काम किसी की लोकेशन प्राप्त करने के लिए भी जिला स्तर से मदद लेनी पड़ती है इसमें काफी वक्त लगता है जिससे अपराधी को पकड़ने में कठिनाई होती है।

निचले स्तर के कर्मचारियों को कई बार साइबर क्राइम किस-किस प्रकार के हो सकते हैं, उसी की जानकारी ही नहीं है इसलिए निचले स्तर के अधिकारियों को लगातार नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए

कोर्स करवाना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी से अपराध करने वाले अपराधी देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं उनकी जानकारी होने के बाद पुलिस अधिकारियों को वहां तक जाने एवं अनुसंधान करने के लिए अलग से अनुसंधान खर्च यात्रा भत्ते के साथ दिया जाना चाहिए एवं अन्य राज्य के पुलिस अधिकारियों से समन्वय होना आवश्यक है। सर्वप्रथम साइबर से संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग होती है वह उप निरीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारियों की होती है और उस स्तर के अधिकारी बहुत कम कंप्यूटर पर काम कर पाते हैं।

कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी साइबर ज्ञान से संपन्न कराना चाहिए। साइबर क्राइम एक बहुत बड़े स्तर का क्राइम है जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए सभी अपराधों को अपने में सम्मिलित किए हुए हैं जैसे कि मोबाइल से धमकी देना, इंटरनेट कॉल से क्राइम करना, फर्जी आईडी तैयार करके धोखाधड़ी करना इस संबंध में अनुसंधान के लिए थाना स्तर पर कोई सुविधा नहीं होती है। डाटा संकलन में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती डाटा एनालिसिस की होती है जिसमें वह पूरी तरह से, पुलिस की एक बड़ी ब्रांच आतंकवादी निरोधी दस्ता, पर निर्भर रहती है तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जरूरी है कि सीओ या थाना स्तर पर ऐसी शक्ति दी जाए की डाटा एनालिसिस जल्दी उपलब्ध हो सके।

पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या कॉल डिटेल की आती है, क्योंकि आजकल के अपराधी व्हाट्सएप कॉल और फेसबुक कॉल से अपराध करते हैं जिससे इन कॉल को इंटरसेप्शन पर नहीं लिया जा सकता न ही इनकी कॉल डिटेल आती है इस संबंध में भी कोई व्यवस्था विभाग को उच्च स्तर पर करनी चाहिए।

मोबाइल के अंदर गूगल मैप, गूगल के अंदर लोकेशन शेयर का एक ऑप्शन आता है तो महिलाओं को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना चाहिए ताकि वे अपनी लोकेशन अपने परिजनों के साथ शेयर करें जिससे आपकी हर गतिविधि आप कहां जा रही हैं, कहां से आ रही हैं, इसकी जानकारी परिजनों को पता हो और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वे मदद के लिए पुलिस को इस संबंध में बता सकें कि आपकी क्या लोकेशन थी, आप कहां जा रही थीं? महिलाओं को बेवकूफ बनाकर कई बार बैंक फ्रॉड होते हैं जिसकी वजह से अपराधी उनसे ओटीपी पूछ कर पैसे निकाल लेते हैं। बैंकों से जब इस संबंध में स्टेटमेंट मांगा जाता है तो वह समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं जिसकी वजह से भी बहुत समस्या होती है इस संबंध में बैंकों से भी समय पर की डिटेल हासिल होनी चाहिए।

भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान

* आईपीसी की धारा 503 – यदि कोई व्यक्ति किसी को ई-मेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजता है।
* आईपीसी की धारा 499- ई-मेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिसमें मानहानि होती हो।
* आईपीसी की धारा 463- के तहत यदि कोई फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है तो कार्यवाही होती है ।

* आईपीसी की धारा 420 - फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड करता है, तो कार्यवाही होती है।
* आईपीसी की धारा 463 - यदि कोई चोरी छुपे किसी के ई-मेल पर नजर रखता है तो कार्यवाही की जाती है।
* आईपीसी की धारा 383 - वेब जैंकिग
* आईपीसी की धारा 500 ई- कोई व्यक्ति मेल का गलत इस्तेमाल करता है तो कार्यवाही की जाती है।

सूचना तकनीक अधिनियम, 2000

धारा 66ए - संचार सेवा के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना या धोखा देने के लिए ईमेल भेजने वाले कृत्यों के लिए सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना।

धारा 66 बी - बेईमानी से चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण - 3 साल तक की सजा या एक लाख जुर्माना या दोनों

धारा 66 सी - इलेक्ट्रॉनिक्स पासवर्ड या उसकी जानकारी

धारा 72 - गोपनीयता भंग करने के लिए सजा

72 ए कानून - कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सूचना का खुलासा करने की सजा

आईपीसी धारा 441 - आपराधिक अत्याचारों से संबंधित है

उपसंहार

वर्तमान युग में जब सारी चीजें विज्ञान और तकनीकी से संबंधित हो गई है ऐसी स्थिति में जनता को जागरूक करना हमारा प्रथम दायित्व है। जितना ज्यादा अपराध के बारे में, अपराधियों के बारे में, अपराध करने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा उतना ही ज्यादा लोग जागरूक होंगे और इस प्रकार से सोशल मीडिया पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सकेगा।

इनसे निपटने का सब से आसान तरीका है कि पुलिस में अधीनस्थ और कुछ स्तर पर ऐसे कंप्यूटर विशेषज्ञों की भर्ती की जाए जो मुख्यतः आईटी का ज्ञान रखते हों। कंप्यूटर के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को जितना ज्यादा हाईटेक किया जाएगा, उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाएगा तभी इस समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है।

जिला स्तर पर विशेष यूनिट स्थापित की जाएं जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के विशेषज्ञ ही भर्ती किए जाएं। विशेष यूनिट के प्रभारियों को विशेष प्रकार के प्रावधानों के तहत शक्तियाँ दी जाएं ताकि वे लोग डाटा एनालिसिस या अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहें। पुलिस द्वारा विशेष प्रकार के प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं जिसमें आम जनता को इस तरह के अपराधों के प्रति जागरूक किया जाए? पुलिस द्वारा समय-समय पर सेमिनार भी आयोजित किए जाने चाहिए जिसमें पुलिस कर्मियों और आम जनता को साइबर अपराध और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों के संबंध में बताना चाहिए। पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए जिस का विषय साइबर अपराध से संबंधित हो।

संदर्भ ग्रन्थ-

- बी.मेन्डलसोंन, दि ओरिजन आफ विक्टिमोलॉजी वाल्यूम मई-जून 1963, पृष्ठ 239-241
- प्रो. श्यामधर सिंह, अपराधशास्त्र के सिद्धान्त, सपना अशोक प्रकाशन।
- स्मार्ट पुलिस स्टेशन इन इच स्टेट शोर्टली, प्रेस अन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गृह मंत्रालय।
- Smartpolicinginitiative.com/spi-events/smart-policing concept

****

भारतीय रेल की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका

डॉ. जोरावर सिंह राणावत
सहायक आचार्य, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा

प्रवास मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य अपने उद्भव काल से ही विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन करता रहा है जिनमें आजीविका, भोजन, सुरक्षा आदि प्रमुख कारण हैं। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को पहिये के आविष्कार के साथ और अधिक गति मिली और इस आविष्कार से उसने परिवहन के नये संसाधनों का निरन्तर निर्माण किया और आवागमन को तीव्र एवं सुगम बनाया है। इसी क्रम में रेल का भी आविष्कार किया गया जो सम्भवतः मानव सभ्यता के सबसे क्रांतिकारी, अभूतपूर्व एवं अद्वितीय आविष्कारों में से एक है जिसने मनुष्य की जीवनशैली पर चमत्कारिक प्रभाव डाला है।

यद्यपि विश्व में रेल जैसी संरचनाओं के विकास के प्रमाण 600 ई. पू. ग्रीस में मिलते हैं तथापि आधुनिक रेल का निर्माण 18वीं शताब्दी में ही हो पाया है। भारत में रेल का संचालन ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सन् 1853 में प्रारम्भ किया था परन्तु धीरे-धीरे इसने आमजन की आवश्यक एवं सामान्य सुविधा का रूप ले लिया है और वर्तमान में यह देश की जीवनरेखा बन गयी है। वर्तमान में भारतीय रेलवे का 67,415 किमी का ट्रेक है जिस पर प्रतिदिन लगभग 13,523 यात्री गाड़ियाँ एवं 9,146 मालगाड़ियाँ चलती हैं। देश में रेलवे के 6,853 स्टेशन हैं तथा 1.54 मिलियन कर्मचारी हैं। इस प्रकार भारतीय रेलवे अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल तन्त्र है तथा देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है।

रेलवे के संचालन और आकार में वृद्धि के साथ इसकी सुरक्षा से सम्बंधित जिम्मेदारियों में भी वृद्धि हुई है तथा भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी आदि विषमताओं ने इसकी चिंताओं में और भी वृद्धि की है। भारतीय रेल में प्रतिदिन लगभग 13 लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं जो एक बहुत बड़ी संख्या है तथा यात्रियों एवं यात्रियों के सामान की सुरक्षा के साथ-साथ रेल तन्त्र की सुरक्षा भारतीय रेलवे के लिए स्वयं में बड़ी चुनौती है। रेलवे की पुलिसिंग राज्य सूची का विषय है अतः अपराधों की रोकथाम, मामलों का पंजीकरण, उनका अन्वेषण, रेलवे परिसर तथा रेल में कानून-व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने के साथ रेलों का सुरक्षित संचालन राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है। इसका निर्वाह राज्य सरकार सरकारी रेलवे पुलिस (Government Railway Police, GRP) तथा जिला पुलिस के माध्यम से करती है तथा रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force, RPF) यात्रियों तथा यात्री क्षेत्रों की बेहतर रक्षा व सुरक्षा के लिए जीआरपी की सहायता करती है। रेलवे की सुरक्षा में निम्नलिखित अभिकरण संलग्न हैं-

रेलवे सुरक्षा बल

इसकी स्थापना यद्यपि ब्रिटिशकाल में ही हो

गई थी परन्तु स्वतन्त्रता के बाद इसमें एकरूपता लाने के लिए रेलवे सुरक्षा अधिनियम, 1957 पारित किया गया तथा रेलवे सुरक्षा बल की पुर्नस्थापना की गई। यह एक अर्द्धसैनिक बल है जो केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करता है। रेल सुरक्षा अधिनियम के अनुसार इस बल के कर्तव्यों में रेलवे सम्पत्ति, यात्री और रेल क्षेत्र की रक्षा, रेलवे सम्पत्ति या यात्री क्षेत्र की बाधाओं को हटाना, रेलवे सम्पत्ति, यात्री और यात्री क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए उचित उपाय करना आदि शामिल हैं। रेलवे अधिनियम और रेलवे सुरक्षा के अन्तर्गत होने वाले अपराध इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

गवर्नमेंट रेलवे पुलिस

यह राज्य पुलिस का अंग होती है जिसकी स्थापना राज्य पुलिस अधिनियम के अधीन की जाती है। सम्पूर्ण रेल क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। **राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007** के अनुसार रेल क्षेत्र से रेल पथों से अनुलग्न सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच के क्षेत्र अभिप्रेत है जिनमें राज्य के भीतर प्रत्येक रेल स्टेशन का परिसर सम्मिलित है और उसके अन्तर्गत राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में पथों पर रेलें, चाहे चल रही हो या स्थिर हो, भी शामिल हैं। राज्य सरकार रेल क्षत्रों में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रेल क्षेत्रों के भार साधन पुलिस महानिरीक्षकों में निहित करती है तथा रेल क्षेत्रों के ऐसे भाग समाविष्ट करते हुए एक या अधिक पुलिस जिले सृजित करती है जिसके भार साधक के रूप में पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त करती है। जीआरपी का 50 प्रतिशत खर्च भारतीय रेलवे वहन करती है जिसमें सामान्यतः भौतिक संसाधन, यथा- कार्यालय, वाहन, आवास आदि शामिल होते हैं जबकि शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है जिसमें मानव संसाधन से सम्बंधित खर्च शामिल हैं।

जीआरपी रेल एवं रेल परिसर, यथा- प्लेटफॉर्म, बुकिंग कार्यालय, प्रतिक्षालय, प्रवेश और निकास द्वार आदि, जगहों पर कानून-व्यवस्था बनाये रखती है। इसके अतिरिक्त स्टेशन के आस-पास संवेदनशील या संदिग्ध गतिविधियों का नियंत्रण, यात्री रेलों में शांति व्यवस्था और गाड़ियों में भीड़भाड़ को रोकने, स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ियों का निरीक्षण, अशांति फैलाने वालों को गिरफ्तार करना, संक्रमित बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हटाना, स्टेशन भिखारियों से मुक्त रखना, यात्रियों का छूटा सामान जब्त करने के लिए तथा रेलगाड़ी की फिटिंग की जाँच के लिए स्टेशन पर आई खाली गाड़ियों का निरीक्षण करना, रेल, स्टेशन या स्टेशन परिसर में मृत व्यक्ति का निस्तारण और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाना, रेलवे कार्मिकों द्वारा धोखाधड़ी और शोषण पर नियंत्रण रखना, रेल दुर्घटनाओं की जानकारी लेना, रेलवे अधिकारियों और यात्रियों की पुलिस के रूप में सहायता करना आदि। भारतीय दण्ड संहिता तथा अपराध प्रक्रिया संहिता के सभी मामले और भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष से अधिक सजा से ऊपर के मामलों को दर्ज करने तथा अन्वेषण करने का कार्य जीआरपी करती है।

सुरक्षा निदेशालय, रेलवे

रेलवे मण्डल में एक सुरक्षा सदस्य होता है तथा मण्डल के एक अंग के रूप में सुरक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका मुखिया महानिदेशक होता है जो

कि रेलवे सुरक्षा बल के मुखिया के अलावा राज्यों की जीआरपी, इसरो, आईबी, एनटीआरओ, राज्य पुलिस, केन्द्र एवं राज्य जाँच अभिकरणों और नागरिक प्राधिकरणों के साथ लगातार सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर रेलवे के यात्रियों और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

रेलवे सुरक्षा की समस्याएँ

यद्यपि रेलवे की सुरक्षा के लिए आरपीएफ, जीआरपी, जिला पुलिस, आसूचना तंत्र आदि सक्रिय भूमिका निभाते हैं परन्तु वृहद आकार और अत्यधिक यात्री भार के कारण रेलवे को सुरक्षा से सम्बंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें से कुछ सामान्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

अत्यधिक यात्री भार एवं कम संख्या बल

रेलवे का वृहद आकार होने और आमजन के आवागमन का साधन होने की वजह से इसकी 13 हजार से ज्यादा यात्री गाड़ियाँ प्रतिदिन लगभग 13 लाख यात्रियों को लाती और ले जाती है। इनकी सुरक्षा के लिए आरपीएफ में 74,830 पद स्वीकृत हैं वहीं जीआरपी में 725 थानों में कार्मिकों के 36,600 पद हैं जो अपर्याप्त हैं। जीआरपी की संख्या बल में वृद्धि के मामले में राज्य सरकार की यह शिकायत रहती है कि भारतीय रेलवे इसकी अनुमति नहीं देती है क्योंकि इसका आधा वित्तीय भार रेलवे को वहन करना पड़ता है। रेलवे सम्पत्ति की तोड़फोड़ और हानि पहुँचाने को रोकने के लिए बड़े स्टेशनों पर 79 खोजी कुत्ते एवं 265 स्निफर कुत्तों कुत्तों की तैनाती भी की गयी है तथा इसके अतिरिक्त मेटल डिटेक्टर दरवाजे, हेण्ड होल्ड मेटल डिटेक्टर तथा सामान स्केनर भी उपलब्ध करवाये जाते हैं परन्तु ये संसाधन सिर्फ नगरीय स्टेशनों और बड़े स्टेशनों पर ही उपलब्ध रहते हैं जबकि छोटे स्टेशन इनसे वंचित ही रहते हैं। यात्रीभार के अनुपात में सुरक्षाकर्मियों की संख्या बहुत कम है जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा किये गये प्रयास सिर्फ 'सिसिफियन टास्क' बनकर रह जाता है जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद भी उचित परिणाम की संभावनाएँ कम होती है।

रेलवे का वृहद क्षेत्र

जैसा की पूर्व में बताया गया है भारतीय रेलवे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र है जिसमें रेलमार्ग की लम्बाई 67,415 किमी., 12,147 रेल इंजन, 67,597 यात्री सेवा वाहन, 6,406 अन्य सेवा वाहन, 2,89,185 माल वाहन, 7,321 स्टेशन हैं। प्रतिदिन 13,523 गाड़ियाँ चलती हैं। 7 हजार से ज्यादा स्टेशनों में से लगभग 522 रेलवे स्टेशन पर तथा 2136 कोच में यात्रियों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं जो कि अपर्याप्त हैं। इस प्रकार रेलमार्ग, रेल वाहनों, स्टेशन एवं रेलवे की अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ यात्रियों और उनके सामान की रक्षा करना सुरक्षा के लिहाज से अति वृहद क्षेत्र है।

रेलवे में अपराध

बड़ी संख्या में यात्रियों के आवागमन के कारण असामाजिक तत्वों का रेलवे में अपराध को अंजाम देना आसान हो जाता है। रेलवे में सबसे ज्यादा चोरी, धोखाधड़ी और लूट जैसे आर्थिक अपराध घटित होते हैं। रेलवे में जीआरपी द्वारा पिछले तीन वर्षों में दर्ज मामले निम्नानुसार हैं-

सारणी-1 भारत में पिछले तीन वर्षों में जीआरपी द्वारा दर्ज मामले एवं अपराध दर

वर्ष	2017	2018	2019	अपराध दर
दर्ज अपराध	90556	107092	99710	7.6

सारणी-2: भारत में वर्ष 2019 में जीआरपी द्वारा भा.द.स. एवं विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुख्य अपराध के आँकड़े

क्र.सं.	अपराध का प्रकार	अपराध शीर्ष	पंजीकृत अपराध
	भारतीय दण्ड संहिता		
1.	मानव शरीर से सम्बंधित अपराध	1. हत्या (धारा 302)	227
		2. लापरवाही के कारण मृत्यु (धारा 304 अ)	56
		3. आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा (धारा 305/306)	132
		4. हत्या का प्रयास (धारा 307)	84
		5. आघात 1094	1094
		6. मानव व्यापार	41
		7. अपहरण	274
		8. बलात्कार (धारा 376)	33
		9. शील भंग करने की इरादे से महिला पर हमला	560
2.	लोक सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध	1. चोरी	76,205
		2. लूट	2,238
		3. डकेती के लिए सम्मिलित होना	228
		4. चोरी की वस्तुओ की खरीद/बेचना	1338
3.	सम्पत्ति एवं दस्तावेज सम्बंधित अपराध	1. जालसाजी, धोखाधड़ी एवं गबन	420
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कुल संज्ञेय अपराध			85245
विशेष एवं स्थानीय कानून			
4.	बच्चों से सम्बंधित अधिनियम	1. पोक्सो अधिनियम, 2012	101
		2. किशोर न्याय अधिनियम, 2000	37

5.	हथियार एवं विस्फोटक अधिनियम	1. प्रतिषेध अधिनियम	6,264
		2. आबकारी अधिनियम, 1944	1,146
		3. नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम,	2,042
6.	अन्य अधिनियम	1. जुआ अधिनियम	539
	विशेष एवं स्थानीय कानून के अन्तर्गत दर्ज कुल संज्ञेय अपराध		14465

जीआरपी द्वारा वर्ष 2019 में भारतीय दण्ड संहिता और विशेष एवं स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत 99,710 अपराध दर्ज किये हैं वहीं आरपीएफ ने 94,695 मामले दर्ज किये हैं। यद्यपि यह आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम है परन्तु अन्य वर्षों की तुलना में ज्यादा ही हैं। वर्ष 2019 में जीआरपी द्वारा दर्ज मामलों में से 45,341 मामले सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में दर्ज हुए हैं तथा अन्य कोई राज्य इस संख्या के आसपास भी नहीं है। वर्ष 2019 में दर्ज मामलों में सर्वाधिक संख्या 76,205 चोरी के मामलों की है, इसके बाद सर्वाधिक मामले 6,264 मामले प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए हैं। इसके अलावा हत्या के 227, आत्महत्या के 16, लापरवाही से मृत्यु के 56, आत्महत्या के लिए उकसाने के 132, हत्या के प्रयास के 84 जैसे गंभीर अपराधों के साथ-साथ लूट के 2,238, धोखाधड़ी के 2,420 जैसे मामले भी दर्ज किये गये हैं। जीआरपी अधिकारी श्री सुरेश पुनिया के अनुसार हत्या जैसे जघन्य अपराध रेलवे में कम होते हैं और जो मामले सामने आये हैं वह सामान्यतः स्टेशन पर ही आपसी मारपीट या झगड़े से होते हैं। रेलगाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने के मामले रेलवे पुलिस के अधीन आते हैं जबकि रेलवे स्टेशन के बाहरी सिग्नल से बाहर रेलगाड़ी के आगे आकर आत्महत्या करने के मामले जिला पुलिस के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

तस्करी

रेलवे वाहनों में जाँच की सिर्फ संदिग्ध लगने पर ही होने से, सामान्य व्यक्तियों की जाँच की कम संभावाओं के कारण और छोटे स्टेशनों पर जाँच ना हाने के कारण अधिकांशतः तस्करों के लिए यह आवागमन का आसान साधन बन जाता है। इसमें शराबबंदी वाले राज्यों, यथा- गुजरात, बिहार आदि, की ओर जाने वाली रेलगाड़ी में अक्सर शराब की तस्करी के मामले सामने आते हैं वहीं राजस्थान एवं मध्यप्रदेश जैसे अफीम उत्पादक राज्यों में राज्यों के अन्दर और पड़ोसी राज्यों में इसकी तस्करी भी रेलवे के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2019 में रेलवे में तस्करी के आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 1,146 तथा नशीली दवा एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 2,042 मामले दर्ज किये हैं। इनमें सर्वाधिक 6,264 मामले प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए हैं जिसमें से अधिकांश मामले शराबबंदी के कारण गुजरात (3,697 मामले) एवं बिहार (2,407 मामले) के हैं। नारकोटिक्स अधिनियम के 2,042 मामलों में से सर्वाधिक मामले उत्तरप्रदेश (788 मामले) एवं महाराष्ट्र (601 मामले) के हैं। दिल्ली, तमिलनाडु और झारखण्ड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में नारकोटिक्स अधिनियम के मामलों की

संख्या लगभग समान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लगभग सभी राज्यों में रेलवे को तस्करी के लिए आसान साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

आतंकवाद एवं नक्सलवाद

आमजन के आवागमन का साधन होने की वजह से रेलवे आतंकवादियों और नक्सलवादियों का हमेशा से 'सोफ्ट टारगेट' रहा है। यद्यपि समय के साथ आधुनिक संसाधनों और सुरक्षा प्रबंधों की वजह से इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगाई गई है। रेलवे पर आतंकवादी हमले 2018 में 02, 2017 में 06, 2016 में 06, 2015 में 10, 2014 में 13, 2013 में 16, 2012 में 04 और 2011 में 24 हुए हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे ने वर्ष 2019 में हथियार अधिनियम के अन्तर्गत 1,411 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें सर्वाधिक मामले उत्तरप्रदेश (775 मामले), मध्यप्रदेश (291 मामले) एवं राजस्थान (172 मामले) में दर्ज हुए हैं। रेलवे वाहनों में और स्टेशन पर गैरकानूनी रूप से जमाव के एवं दंगों के 75 मामले भी दर्ज किये गये हैं। विस्फोटक सामान के कुल 5 मामले उत्तरप्रदेश, झारखण्ड एवं कर्नाटक में दर्ज हुए हैं जो कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं। नक्सलवादियों द्वारा रेल की पटरियों को उड़ा देने, रेल या रेल यात्रियों की अपहरण की घटनाएँ भी प्रभावित क्षेत्रों में होती रहती है। इसके अतिरिक्त विस्फोटक की सहायक सामग्री के 9 मामले दर्ज किये हैं। अकेले असम जीआपी ने वर्ष 2012 से अबतक 1847 गिलेटिन छड़े, 1,412 डेटोनेटर, 2NOS IED, एक ग्रनाईड तथा 24 हथियार बरामद किये हैं। भारतीय रेलवे द्वारा एक एकीकृत तंत्र (ISS) बनाने की स्वीकृति दी है जो 2002 संवेदनशील स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी तंत्र विकसित करेगा। इस प्रकार सुरक्षा के लिए कुछ सराहनीय प्रयास भी किये जा रहे हैं परन्तु अपराध के आँकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यह उपाय अपर्याप्त हैं।

महिला एवं बाल सुरक्षा

रेलगाड़ी में महिलाओं से सम्बंधित अपराधों की संभावना यद्यपि कम रहती है तथापि रेलवे स्टेशन या परिसर में इस तरह के अपराध की सम्भावनाएँ ज्यादा है। वर्ष 2019 में रेलवे में बलात्कार के 33, बलात्कार के प्रयास के 03, लज्जा भंग का प्रयास के 506 मामले दर्ज किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अपहरण के 274, मानव तस्करी, जिसमें सामान्यतः नाबालिग बालक एवं बालिकाएँ शामिल थीं, के 41, अप्राकृतिक अपराध के 61, पोक्सो के 101 मामले दर्ज किये गये हैं। रेलवे के सुरक्षा तंत्र में महिलाओं की कम संख्या इस प्रकार के अपराधों और घटित होने के बाद सहायता की स्थिति को और भी भयावह बना देती हैं। आरपीएफ में महिलाओं के मात्र 2,344 पद हैं जबकि महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 4,078 कांस्टेबल तथा 298 उपनिरीक्षक के पदों के लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है। वहीं जीआरपी में राज्यों के अनुसार भिन्नताएँ हैं परन्तु संख्या बल की स्थिति समान है। इसके अलावा यात्री गाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं होते हैं। रेलवे द्वारा आधुनिक पीढ़ी के यात्रियों के लिए विभिन्न सामाजिक मीडिया मंचों, यथा- फेसबुक, ट्वीटर आदि, के माध्यम से रक्षा एवं सुरक्षा से सम्बंधित मामलों के निस्तारण का प्रावधान भी किया जा रहा है।

महिला सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने

अक्टूबर, 2020 से 'मेरी सहेली' अभियान शुरू किया है जिसके अन्तर्गत रेल में अकेली सफर कर रही महिला यात्री को रेलवे सुरक्षा बल की महिला विंग की सदस्य द्वारा सफर के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ प्रत्येक स्टेशन पर उनके हाल-चाल भी जानेगी। महिला यात्रियों को जीआरपी सहायता नम्बर और आरपीएफ सहायता नम्बर से अवगत करवाने के अतिरिक्त अन्य सुरक्षा के उपायों से भी अवगत करवायेगी। इस अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक कोच को महिला सुरक्षा बल द्वारा एस्कॉर्ट किया जायेगा जिससे महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

अधिकार क्षेत्र एवं संसाधन

रेलवे की सुरक्षा के लिए दो बल तैनात हैं जिनमें से आरपीएफ अर्द्ध सैनिक बल हैं जो केन्द्र सरकार के अधीन है तथा इसके साधन-सुविधाएँ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के अनुसार होती है। इसका कार्य रेलवे सम्पत्ति का सुरक्षा प्रदान करना है। वहीं दूसरा बल जीआरपी है जो राज्य पुलिस का अंग होता है और इसके साधन-सुविधाएँ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। चूकि कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण राज्य सूची का विषय है अतः रेलवे में यह जीआरपी देखता है जो कि बड़ी भूमिका है। इस प्रकार एक ही तंत्र में दो समान बल के कार्मिकों की संख्या, सुविधाएँ, संसाधन आदि में अन्तर आ जाता है जो अन्ततः मनोबल को गिराता है और तनाव उत्पन्न करता है। आरपीएफ और जीआरपी के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी कई बार तनाव की स्थिति आ जाती है इसके निवारण के लिए सितम्बर, 2019 में एक समिति का गठन भी किया गया था। रेलवे द्वारा असुरक्षित मार्ग/ क्षेत्रों की पहचान कर विभिन्न राज्यों में प्रतिदिन 2200 रेलों का आरपीएफ द्वारा तथा 2200 रेलों का जीआरपी द्वारा अनुरक्षण (Escort) किया जाता है परन्तु जीआरपी के पास कार्मिकों की कमी के कारण एक ट्रेन के लिए सिर्फ दो कार्मिक ही उपलब्ध करवाये जाते हैं जो अपर्याप्त होते हैं तथा आरपीएफ से कम यात्रा भत्ता मिलने के कारण जीआरपी के कार्मिकों में अनुरक्षण की ड्यूटी के प्रति अरूची भी रहती है।

सुझाव

भारतीय रेलवे ने समय के साथ अपने कार्यकरण, संसाधनों और सुविधाओं में कई नवाचार किये हैं और समय के साथ सुरक्षा तंत्र भी मजबूत किया है परन्तु भारत जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र और जनाधिक्य वाले देश में यह प्रयास कम रह जाते हैं। परिवहन के साधन में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होता है अतः इसपर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर सम्बंधित निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं-

रेलवे की सुरक्षा का प्रथम कदम सुरक्षित प्रवेश होना चाहिए जिसके लिए सभी रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वारों को मेटल डिटेक्टर युक्त बनाने के साथ-साथ यात्रियों के सामान की भी समुचित जाँच होनी चाहिए। बड़े और नगरीय स्टेशनों पर यह सुविधाएँ उपलब्ध है परन्तु छोटे स्टेशन पर नहीं होने के कारण सुरक्षा में सेंध लग जाती है। इसके अलावा स्टेशन पर अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए स्टेशन को हवाईअड्डे की तर्ज पर सुरक्षित किया जाना आवश्यक है जहाँ प्रवेश केवल प्रवेश द्वार से ही संभव हो सके। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन एवं यात्री गाड़ियों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जानी चाहिए जिससे मानव संसाधन की कमी होने पर भी प्रभावी निगरानी हो सकेगी।

रेलवे की सुरक्षा में जीआरपी की सबसे महत्वपूर्ण

भूमिका होती है अतः इसमें पर्याप्त संख्याबल होना आवश्यक है। जीआरपी में पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति के साथ-साथ महिला कार्मिकों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए जिससे महिला यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा और सहायता प्रदान की जा सके। महिलाओं के लिए यात्रीगाड़ियों में 'पेनिक बटन' जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसी भी असुविधाजनक स्थिति में महिलायें रेलवे पुलिस को सूचित कर सकें। जीआरपी एवं आरपीएफ के संसाधनों और सुविधाओं में एकरूपता स्थापित कर उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए जिससे वे अधिक उत्साह से कर्तव्यों का निर्वाह करें।

रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में आतंकवादी गतिविधियों तथा आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए तथा ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए संवेदनशील स्टेशनों पर भारतीय रेलवे तथा सम्बद्ध अभिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन एवं साधनों की जाँच और तैयारी के लिए समय-समय पर बम ब्लास्ट की मॉक ड्रील (Mock Drill) की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यात्रियों से सम्बंधित अपराधों के नियंत्रण के लिए आरपीएफ, अपराध नियंत्रण एवं निवारण स्क्वॉड, जीआरपी आदि के अधिकारियों द्वारा रात्रिकाल में औचक निरिक्षण द्वारा कर्मचारियों का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए तथा अधिक चौकन्ना रहने के लिए निर्देशित भी करते रहना चाहिए।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संसाधनों, जिसमें मानव संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों शामिल किये जा सकते हैं, की कमी रेलवे की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती है। अतः इनकी पर्याप्त संख्या सुरक्षा को नया स्तर प्रदान करेगी तथा आधुनिक संसाधनों और तकनीक के आधार पर भारतीय रेलवे इस कमीं को भी पूरा करने को प्रयास अवश्य करेगी।

संदर्भ

1. भारतीय रेल वार्षिकी 2018-2019, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार
2. www.indianrailway.gov.in
3. राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007, राजस्थान सरकार
4. भारत में अपराध-2019, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5. www.police.assam.gov.in
6. स्टेप्स टेकन बाय रेलवे फॉर सेफ्टी, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, 2019

****

वाष्पशील विष

डॉ. बी. डी. माली
से.नि. सहायक निदेशक

विष विज्ञान (Toxicology) न्यायालयिक विज्ञान की एक शाखा है, जो विष के लक्षण (Symptoms), उपचार और क्रियाविधि की विवेचना करती है। आज सारे विश्व में विष और उसका प्रयोग एक गंभीर समस्या बन गयी है। विष प्रयोग की समस्या सुलझाने में चिकित्साशास्त्र और न्यायालयिक विज्ञान महत्वपूर्ण समझा जाता है। न्यायालयिक विज्ञान में रासायनिक परीक्षण का स्थान महत्वपूर्ण है। यह परीक्षण केंद्रीय (Central) एवं राज्य सरकार की न्यायालयिक प्रयोगशाला में होता है। जिनके परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपराधी का संबंध अपराध से जोड़ा जाता है।

विष के विभिन्न प्रकार

विषैले पदार्थों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है। रासायनिक रचना (Chemical structure) अनुसार विषैले पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक ऐसे दो प्रकार के होते हैं। उसके अंतर्गत अम्ल, अल्कली, धातु, अधातु, अमाइने, अल्कलाइडे, एल्डीहाइड सम्मिलित है। भौतिक रुप से विष पदार्थ का घन, द्रव और वायु ऐसा भी वर्गीकरण होता है। वायु विष (Gas poison) में हाइड्रोजन सायनाइड, फोसजिन, मिथाइल आयसोसाइनेट (MIC), कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड आदि सम्मिलित है। यह सामान्य तापमान पर गैस या वाष्प बन जाते हैं।

मेथील और एथिल अल्कोहोल, क्लोरोफार्म, इथर, एथिल क्लोराइड, फोर्मेलड़ीहाइड, इथिलीन ग्लायकॉल, यह सब द्रव रूप हैं, तो क्लोरल हाईडरेट एक यौगिक है। यह उबलते पानी के तापमान पर वाष्प बन जाते हैं। इसलिए यह सभी रासायनिक पदार्थ वाष्पशील विष में (Volatile poison) सम्मिलित है। इसमे एथिल अल्कोहल (एथेनॉल) मादक द्रव (Inebriant) माना जाता है। यह उत्तेजना (Excitement) और अचेतनता (Narcosis) पैदा करता है। मेथिल अल्कोहल (मेथेनॉल) एक कार्बनिक यौगिक है। पहले यह लकड़ी के भंजक आसवन से (Distructive distllation of wood) तैयार किया जाता था। इस की गन्ध एथेनॉल (पेय अल्कोहल) जैसी होती है। मेथनॉल अत्यन्त विषैला होता है।

क्लोरोफार्म, इथर और एथिल क्लोराइड यह चेतना शून्य (Anaesthetic) कर देने वाले द्रव है। इनको चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी की शल्यक्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक (Anasthesia) के रूप में प्रयोग करते थे। वर्तमान चिकित्सा में इनका प्रयोग बंद कर दिया गया है। क्लोरल हाईडरेट अक्सर ताड़ी (ताड के पेड से निकलने वाला रस) में मिलाया जाता है। यह शामक (Sedative) और सम्मोहित करने वाला या निद्रापक (Hypnotic) रसायन है।

इथिलीन ग्लायकॉल यह कार्बनिक यौगिक है। यह गाड़ियो में प्रति हिमकारी (Antifreeze) के रूप में

उपयोग में आता है। यह विषैला होता है। इसको पीने से मृत्यु हो सकती है। इथिलीन ग्लायकॉल की खून में 50 mg / 100 ml मात्रा उत्तेजित (Intoxicated) मानी जाती है।

शराब और कानून

शराब में स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट, वाईन, बिअर, ताड़ी और सभी तरल पदार्थ (Liquids) सम्मिलित है, जिसमे एथिल अल्कोहल मुख्य घटक के रूप में होता है। यह गुडरस (Molasses) या किसी स्टार्चवाले अनाज को किण्वन विधी (Fermentation) करके खास तापमान में डिस्टिल किया जाता है, जिससे डिस्टिलेट में सिर्फ एथिल अल्कोहल आता है। यह अल्कोहल बार-बार डिस्टिल करके रेक्टीफाईड स्पिरिट मिलता है जिसमे 95 फ़ीसदी तक अल्कोहल रहता है। यह अल्कोहल देशी शराब (Country spirit) और विदेशी शराब के (Indian made foreign liquor) उत्पादन में काम आता है। इस शराब का उत्पादन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के विशिष्टी (Specimen) अनुसार ही होता है। इस शराब पर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होने से महंगी होती है। यह ड्यूटी लेने का कार्य राज्य का आबकारी विभाग (State Exice Department) करता है। विदेशी शराब में रम, जीन, व्हिस्की, ब्रांडी, वाईन्स और सौम्य शराब आती है। सौम्य शराब (बिअर) में साधारण 5 फ़ीसदी अल्कोहल (8.75 प्रूफ़) रहता है।

ताड और खजूर पेड़ से निकलने वाले ताजे रस को नीरा कहते हैं। यह ज्यादा देर तक बाहर रहने पर ताड़ी बन जाती है, जिसमे सिर्फ 5% तक अल्कोहल निर्माण होता है। महाराष्ट्र में ताड़ी के लाइसेंस देकर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है।

ज़हरीली देशी शराब से मौत की खबरें देश के कई राज्यों से आती रहती हैं। इस अवैध शराब का (illicit liquor) उत्पादन गैर-क़ानूनी तरीके से होता है। यह अखाद्य गुड़ (Non-edible jaggery) महुए के फूल, आलू, चावल, जौ, मकई या कोई स्टार्च वाली चीज में शोरा (पोटाशियम नायट्रेट) या नौसादर (अमोनियम क्लोराईड) डाल के किण्वन विधि के लिए अवैध भट्टियाँ लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद यह द्रव डिस्टिल करते हैं। जिस के लिए कोई तय तापमान नहीं होता। इससे मिलने वाले एथिल अल्कोहल के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में हानिकारक एसिड्स, एस्टर्स, हायर अल्कोहल (फुसेल ऑइल) और एल्डिहाइड रहने की वजह से यह मानवी सेवन के लिए हानिकारक होती है। इस शराब को नशीला बनाने की लालच में कारोबारी इसमे "काष्ठ अल्कोहल" या "काष्ठ स्पिरिट" नाम से मशहूर मेथेनॉल की मिलावट करते हैं।

मेथेनॉल यह वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील, द्रव है जिसकी गन्ध एथेनॉल (पेय अल्कोहल) जैसी होती है। एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों का मिलता-जुलता नाम है और "अल्कोहल" शब्द भी जुड़ा हुआ है। लोग भ्रम में मिथाइल अल्कोहल में पानी मिलाकर इसका शराब की जगह प्रयोग कर लेते हैं। अपने देश में यह शराब पिछले एक दशक में हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर चुकी है।

गरीब मजदूर महंगी शराब खरीद नहीं सकते, वो सस्ती अवैध शराब पीके अपनी हालात बिगाड़ देते हैं। कारोबारी कभी इसमें मेथनॉल मिलाते हैं इसका नतीजा ज़हरीली शराब कांड होता है, जिसके कई लोग शिकार होते हैं। कइयों के घर उजड़ जाते हैं। मेथनॉल का प्रयोग दिमागी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इससे शरीर में सुन्नापन और अंधेपन की समस्या आ सकती

है । मेथनॉल की थोड़ी मात्रा भी मौत का कारण बन सकती है । मेथनॉल मानवीय शरीर में प्रवेश करने के बाद इसका फोर्मेलड़ीहाइड (HCHO) यह मेटाबोलाइट होता है जो आँख के दृष्टीपटल (Retina) का पानी कम (Dehydration) करता है । जिसकी वजह से आदमी अंधा हो जाता है । इसके लिए सिर्फ 15 मिली. मेथनॉल काफी है । मरीज के पेट में बहुत दर्द होता है । महाराष्ट्र न्यायालयिक प्रयोगशाला में दाखिल एक ज़हरीली शराबकांड के मामले में मेथील अल्कोहल की मृत्युकारी मात्रा (Fatal dose) 60 मिली. (115mg %) ही थी तो नेत्रहीनता केवल 15 मिली.(30 mg %) से ही आयी थी ।

महाराष्ट्र सरकार ने देशी शराब (Country liquor) के कई दुकानों को लाइसेंस दिये हैं। यह शराब विदेशी शराब से सस्ती होने के कारण कई ग़रीब श्रमिक इसका सेवन करते हैं ।

देश के सभी राज्यों में शराब का उत्पादन/बेचना/खरीदना/पीना इस संबंध में कानून अलग-अलग है । गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिज़ोरम इस राज्यों में शराब पर प्रतिबंध (Prohibition) है । महाराष्ट्र में प्रोहिबिशन एक्ट 1949 लागू है । इस कानून के अंतर्गत शराब उत्पादन करने के लिए लगने वाला कच्चा माल, बेकायदा शराब और ताड़ी तैयार करना या कब्जे में रखना कानूनन अपराध है । महाराष्ट्र में आबकारी विभाग और पुलिस शराब जैसे मादक पदार्थों के अवैध निर्माण और तस्करी के रोकथाम के लिए जिम्मेदार है ।

शराब और ताड़ी के नमूनों (Samples) का रासायनिक परीक्षण अपराध साबित करने के लिए जरुरी होता है । इसलिए यह नमूने पुलिस सावधानी से सील करके उस क्षेत्र के न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजते हैं । इस नमूनों का परीक्षण रासायनिक विधियों से किया जाता है । यह नमूने डिस्टिल करके जो डिस्टिलेट आता है उसमे एथेनोल/मेथेनॉल के अस्तित्व के बारे मे रंग अभिकर्मक से (Colour reagent) जाँच करनी पड़ती है । (तालिका देखे) यदि यह पॉजिटिव हो तो उसका अल्कोहल प्रतिशत (Alcohol %) डेनसिटी मिटर की सहायता से किया जाता है । मेथनॉल यदि कम मात्रा में हो तो गैस क्रोमाटोग्राफी तंत्र से नापा जाता है ।

महाराष्ट्र में डिनेचर्ड स्पिरिट पीने से कुछ मामले न्यायालयिक प्रयोगशाला ने सुलझाए है । मेथनॉल फर्टीलायजर, डाय और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रिज का गौण-उत्पादन (By-product) है । यह प्लास्टिक, सिन्थेटिक फाइबर, प्लाईवुड, फार्मास्यूटिकल, पेस्टीसाइड, पेंट और रेज़ीन इंडस्ट्रिज में और रिफायनरी में इंधन में मिलाने के लिए भी उपयोग में आता है । यह रसायन होने से इसका ट्रान्सपोर्ट टैंकर से होता है । इस पर किसी का नियन्त्रण नहीं होता, जिससे मेथनॉल की रास्ते में ही चोरी होती है, यह बात कई ज़हरीली शराब कांड में सामने आयी है। शराब कांड में सस्ते नशे की लालच में गरीब परिवारों के घर लगातार तबाह हो रहे हैं । ऐसी घटनाएँ सुर्ख़ियों में आकर भी जनमानस में कोई हलचल नहीं पैदा कर पाती और थोड़े दिन ही यह खबर में रहती है । इसलिए ज़हरीली शराब का कारोबार सख्ती से रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को मिलकर काम करना चाहिए । पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में अवैध शराब के भट्टियों पर नजर रखनी चाहिए । इससे लोगों को सस्ती अवैध शराब कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो लोग देशी (Country liquor) और विदेशी शराब पर ही निर्भर रहेंगे । जिससे देशी और विदेशी शराब की बिक्री बढ़ जायेगी, जिससे सरकार को एक्साइज ड्यूटी पहले से ज्यादा मिलेगी।

वाष्पशील विष का परीक्षण

	वाष्पशील विष	रंग अभिकर्मक	रंग	अति आधुनिक उपकरण पद्धति
1	एथेनॉल	i) आयडोफार्म ii) मॉरफोलिन	पीला नीला	i) डेनसिटी मिटर ii) डिफ्यूजन मेथड iii) हेड स्पेस गैस क्रोमाटोग्राफी
2	मेथनॉल और फोर्मेलडीहाइड	i) क्रोमोट्रोपिक एसिड-सल्फूरिक एसिड ii) शिफ्स	बेंगनी गुलाबी गुलाबी	i) गैस क्रोमाटोग्राफी ii) स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री
3	सायनाइड	फेरस सल्फेट-फेरिक क्लोराईड	नीला	स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री
4	कार्बन –मोनो ऑक्साइड	----	खून का रंग चेरी जैसा लाल	i) गॅसलिक्विडक्रोमाटोग्राफी ii) हार्टरिज रिवरजन स्पेक्ट्रोग्राफ iii) स्पेक्ट्रोफोटोमिटर
5	क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाईडरेट	i) सोडियम हायड्रोक्साईड-पिरीडीन ii) सोडीयम हायड्रोक्साईड-ऑरसिनॉल	गुलाबी परत पीला फ्लुरसंस	i) स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री ii) गैस क्रोमाटोग्राफी

शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk driving) भारत सहित पूरे विश्व में कानूनन अपराध है। सडक हादसे में होने वाली मृत्यु की घटनाएँ हमेशा अख़बारों में आती रहती है। औसतन प्रतिदिन सड़क हादसों में भारत में 400 लोग मारे जाते हैं। साल 2018 में जितने भी सड़क हादसे हुए उनमे से लगभग 66% हादसे तेज रफ़्तार के कारण हुए और 5% हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुए। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाती है लेकिन, नये नियम और कानून के बावजूद लोग अपनी जान के साथ-साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसे मामलों में कार्यवाही हेतु पुलिस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराते हैं। उन्होंने संरक्षित (Preserve) किया हुआ विसरा (Internal organs and blood) रासायनिक परीक्षण के लिए उस क्षेत्र के न्यायालयिक प्रयोगशाला के विष विज्ञान विभाग में भेजा जाता है। यहाँ अल्कोहल की परीक्षा मॉरफ़ोलिन रंग अभिकर्मक (Colour reagent) से करते हैं। यदि मॉरफ़ोलिन को

नीला रंग आया तो जैविक नमूनों में अल्कोहल होगा। इसकी पुष्टि हेड स्पेस जीसी तरीके से उसी जैविक नमूनों में अल्कोहल मिलने से होती है।

मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत प्रावधान के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हज़ार रूपये जुर्माना है। ऐसे मामलों में ड्राइवर की साँस में विद्यमान शराब के अंशों की मात्रा "ब्रेथ एनालाइजर" उपकरण से तत्काल मालूम पडती है। यह उपकरण ट्रैफिक पुलिस के पास होता है। कभी-कभी ब्रेथ एनालाइजर के रिपोर्ट से होने वाले जुर्माने को कोर्ट में चुनौती दी जाती है। इसलिये मायक्रो प्रोसेसर आधारित ब्रेथ एनालाइजर पुलिस के सेवा में अभी आए है। उसमें जब ड्राइवर की साँस टेस्ट करते हैं, तभी प्रिंटेड पर्ची पर सभी निष्कर्ष आते हैं। उसमे संदिग्ध व्यक्ति का अल्कोहोल %, तारीख, समय और उसका फोटो भी आता है। इस छोटे उपकरण (Gadget) में तीन हजार लोगों का डेटा रखने की क्षमता है और यह डाउनलोड भी हो जाता है। इस आधुनिक उपकरण से नाकाबंदी के समय हजारो लोगों के अल्कोहोल टेस्ट किए जा सकते हैं। ऐसे सभी उपकरण ट्रैफिक कंट्रोल रूम को जुडे हुए रहते हैं। भारत में गाड़ी चलाने वाले ड्राईवर के खून (blood) में अल्कोहल कंटेंट की कानूनन सीमा (Legal limit) प्रति 100 मिली.ब्लड में 30 mg है। कभी-कभी पुलिस ऐसे शराबी की सरकारी अस्पताल में डाक्टर से चिकित्सा कराते हैं। ऐसे नमूनों का परीक्षण न्यायालयिक प्रयोगशाला के रसायनशास्त्र विभाग में डिफ़्युजन ऑक्सीडेशन मेथड और अति आधुनिक संवेदनशील कंप्यूटर आधारित हेड स्पेस जीसी मेथड से होता है। एथिल अल्कोहल की औसतम मृत्युकारी मात्रा 200 मिली.विशुद्ध अल्कोहल या 500 मिली. शराब (40 प्रतिशत अल्कोहल) है।

वायु विष

वायु विष में हाइड्रोसायनिक अम्ल अति वाष्पशील द्रव है। प्रकृति में भी कई वनस्पति में सायनाइड रहता है। ज्वार (सोरघम एस) और बंबू उगते समय उसके अंदर के भाग में ग्लुको सायनाइड रहता है। जंगली मटर/कसारी (लेथरस सेटाइवस) और चेरी प्रूनास सेरासस की पत्तियों और बीजो में एमीगडेलिन होता है, जो सायनोजनिक ग्लुकोसाइड है। यह वनस्पति जानवरों द्वारा खाने से हर साल कई जानवर मर जाते हैं।

सायनाइड गैस साँस से शरीर में पहुँचती है , तो शरीर की कोशिकाओं और ऑक्सीजन के बीच दीवार का काम करती है। हीमोग्लोबिन से सायनाइड का लगाव (Affinity) ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक है। इसके कारण सायनाइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटाकर सायनोमेथ हीमोग्लोबिन संकुल (Complex) बनाती है। जिससे खून का रंग लाल चमकदार दीखता है। इससे कोशिका जीवित नहीं रहती, तो शरीर भी कुछ मिनिटों में मृत होता है। हाइड्रोसायनिक अम्ल की मृत्युकारी मात्रा 50 mg जितनी कम है।

वायु विष में मिथाइल आयसो सायनेट (MIC) भी अति ज़हरीली वाष्पशील वायु है। इसके रिसने से 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। जिसमें लगभग चार हजार लोगों की मृत्यु हुई और कई शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। यह गैस यूनियन कार्बाइड के पीडक नाशी बनाने वाले कारखाने में भंडारित करके रखने वाले टैंक से रिसकर बाहर निकली थी। अचानक टनों गैस हवा में उडने से कई लोग मर गये। यह मानव इतिहास में अब तक सबसे

भयावह और दर्दनाक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है।

पेट्रोल, डीजल, कोयला या लकड़ी जैसे इंधन आंशिक रूप से जल जाते हैं, तब सामान्य तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड यह गैस पैदा होती है। यह रंगहीन, गंधहीन और बहुत ही ज़हरीली गैस है। यह गैस गाड़ियों के एक्जास्ट में भी रहता है। कोयले की अंगीठी से भी इस गैस का उत्सर्जन होता है। यह गैस जब हमारे शरीर में पहुँचती है, तब ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए आवश्यक तत्व ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक संकुल बनाती है। यह संकुल खून में ऑक्सीजन को मिलने से रोकता है। जिसके कारण साँस लेने की सामान्य प्रक्रिया बाधित होती है। हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड का लगाव ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक होता है। इससे रक्त कनिकाओं की ऑक्सीजन वहन की क्षमता बाधित होती है। शरीर को ऑक्सीजन न मिलने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में मरीज के खून का रंग चेरी जैसा लाल दिखता है।

कोयले के खदान में आग की दुर्घटना में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार होती है। जिससे कई मजदूरों की जान जाने की कई घटनाएं विश्व में घटी हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग अक्सर बंद कमरे में जलती अंगीठी रखते हैं। जिसमें कोयला जलाने से पैदा होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कई दुर्घटना हुई हैं। ऐसे समय बुजुर्ग और साँस की दिक्कत वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए।

सिगरेट और बीड़ी पीनेवाले की खून में 3-5% और हमेशा गाड़ी चलाने वाले ड्राईवर के खून में 8-10% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है। यदि यह मात्रा खून में 15-20% तक गई तो भी व्यक्ति में विष प्रयोग (poisoning) के कुछ भी लक्षण (Symptoms) नहीं दिखते, सिर्फ थोडा सा सरदर्द होता है। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण 0.2 पीपीएम जितना कम होने की वजह से यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त नहीं होती। न्यायालयिक प्रयोगशाला में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा की जांच गैस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी और हार्टरिज रिवरजन स्पेक्ट्रोग्राफ से करते हैं।

सामान्य तापमान में गैस की अवस्था में रहने वाली फोसजिन एक रंगहीन विषैली गैस है। यह हवा से भारी होने की वजह से हवा में निचलेस्तर में रहती है। इसे पहले विश्व युद्ध में उपयोग में लाया गया था। फोसजिन का असर पहले व्यक्ति के आँख, नाक और श्वसन प्रणाली पर होता है। यह फेफड़ों की कोशिका और ऑक्सीजन के बीच का संबंध तोड़ देता है। इससे दम घुटकर व्यक्ति मर जाता है। फोसजिन की ऊँची सांद्रता में दो से छह घंटे में व्यक्ति में खाँसी, आँखों में जलन से पानी बहना, साँस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में पानी जमजाना (Pulmonary edima), रक्तचाप में कमी आदि लक्षण दिखते हैं। फोसजिन की घातक मात्रा (Lethal dose) लगभग 500 पीपीएम / मिनिट एक्सपोज़र इतनी कम है। इससे यह गैस का विषैलेपन समझ में आता है। विषैले गैस से प्रभावित मरीज को खुली हवा में लेकर जाना चाहीए। उसको बाहर से ऑक्सीजन भी देना चाहिए।

उपरोक्त वाष्पशील विष की जानकारी से यह मालूम पड़ता है की जहरीली शराब में मिथाइल

अल्कोहल रहता है । जब भी अपने देश में विषैली शराब से लोग मरते हैं, तभी न्यायालयिक प्रयोगशाला के परीक्षण से शराब में मिथाइल अल्कोहल की मिलावट सामने आती है । महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ताड़ी बहुत मात्रा में निकालते हैं । उसमें क्लोरलहायड्रेट की मिलावट परीक्षण से मालूम पडती है । पुलिस को आधुनिक ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करके शराबी ड्राइवर के खिलाफ नये कानून के अंतर्गत मुहिम चलानी चाहिए । जिससे निरपराध लोगों की जान बच जाएगी । विषैली गैसकांड में थोडी सी गलती से बहुत लोग मारे जाते हैं । इसलिए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए । आज अपराध अन्वेषण में अपराधी तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिक विधियाँ अनिवार्य है । न्यायालयिक विज्ञान कई अपराध सुलझाने में आज अहम भूमिका निभा रहा है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Parikh, C.K., Parikh`s Text Book of Medical Jurisprudence and Toxicology, 2005, CBS Publishers, New Delhi
- Jaiswal, A.K. and Millo, T., Hand Book of Forensic Analytical Toxicology, Jaypee Publishers, New Delhi
- Alcoholic Drinks- Methods of Test(Second Revision) IS 3752: 2005, Bureau of Indian Standards, New Delhi
- Alcoholic Drinks-Country Spirit (Distilled)- Specification (Third Revision) IS 5287: 2005, Bureau of Indian Standards, New Delhi
- Reflections on Methyl Alcohol Monster : Forensic Science Laboratories, Maharashtra State, Report 1992
- Mumbai Denatured Spirit (Amendment) Rules 1998, Govt. Press Mumbai.
- Jones, A.W., Evaluation of Breath-Alcohol Instruments, Road side Tests, Forensic Science International, 1985; 28, 157

****

रजिस्ट्रेशन सं. 40445/82

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली - 110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in